सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजन लाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार

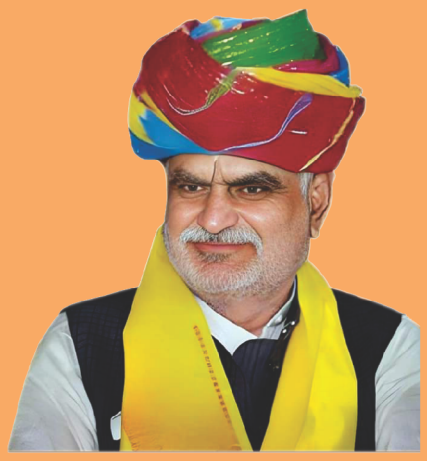

श्री झाबर सिंह खर्रा
माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत शासन विभाग
राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2024-25

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

वेबसाईट : lsg.urban.rajasthan.gov.in, udh.rajasthan.gov.in
ई-मेल : dlbrajasthan@gmail.com

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2024—2025

स्वायत्त शासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रकाशित

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में	1
2	राजस्थान की नगरपालिकाऐं	2
3	निदेशालय के विभिन्न प्रकोष्ठ एवं उनकी मुख्य गतिविधियां	2–14
4	विभागीय बजट	14–16
5	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाऐं	17–41
6	अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम/गतिविधियां	41–73
7	राजस्थान के नगर निकायों का सम्भागवार, जिलेवार एवं श्रेणीवार वर्गीकरण (परिशिष्ठ–I)	74–77
8	वर्ष 2023–2024 में विभाग में स्वीकृत पदों का विवरण (परिशिष्ठ–II)	78–80
9	निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नम्बर (परिशिष्ठ–III)	81–82
10	क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के नाम एवं दूरभाष नम्बर (परिशिष्ठ –IV)	83
11	विभाग का प्रशासनिक संगठन (परिशिष्ठ –V)	84

राजस्थान के शहरी क्षेत्र एक नजर में

❖	राज्य का कुल क्षेत्रफल (लाख वर्ग कि.मी. में)	3.42
❖	राज्य की कुल आबादी (2011)	6,85,48,437
❖	राज्य में नगरीय जनसंख्या (2011)	1,70,48,085
❖	राज्य के 305 नगर निकायों की जनसंख्या	1,79,80,208
❖	राज्य की कुल आबादी से नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत (2011)	24.87
❖	स्त्री/पुरूष अनुपात (नगरीय) (प्रति हजार) (2011)	914
❖	दशकीय वृद्धि दर (नगरीय) (2011)	29.00
❖	साक्षरता कुल व्यक्ति (नगरीय) (2011)	1,18,03,496
❖	साक्षरता दर (नगरीय) पुरूष (2011)	87.9
❖	साक्षरता दर (नगरीय) महिलाऐं (2011)	70.7
❖	5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर (2011)	5
❖	एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या (2011)	30
❖	नगरीय निकायों की संख्या	305
❖	नगर निगम	13
❖	नगर परिषद	52
❖	नगर पालिका (द्वितीय श्रेणी)	17
❖	नगर पलिका (तृतीय श्रेणी)	53
❖	नगर पालिका (चतुर्थ श्रेणी)	170

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2024–2025

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. हैं। यह राज्य देश के लगभग दस प्रतिशत भू–भाग को अपने में समेटे हुये है। जनगणना – 2011 के आंकडो के अनुसार राज्य की कुल आबादी 6.85 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 5.65 प्रतिशत है। इसमें से 1.70 करोड़ जनसंख्या नगरों मे निवास कर रही है, जो कुल जनसंख्या का 24.87 प्रतिशत है। राज्य में 305 नगरीय निकाय है। राज्य के बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, कोटा क्षेत्र के विकास की दृष्टि से एक के स्थान पर दो–दो निगम–जयपुर हैरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण गठित किये गये है।

(1) राजस्थान की नगरीय निकायो का विवरण

वर्तमान में प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में कुल 305 नगरीय निकाय हैं, जिनका श्रेणीवार विभाजन निम्न प्रकार है :–

नगर निगम	नगर परिषद	नगर पालिका द्वितीय श्रेणी	नगर पालिका तृतीय श्रेणी	नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी	कुल नगरीय निकाय योग
13	52	17	53	170	305

राजस्थान के नगरीय निकायों की जिलेवार व श्रेणीवार सूची परिशिष्ट 'I' पर संलग्न है।

(2) निदेशालय के विभिन्न प्रकोष्ठ व उनकी मुख्य गतिविधियां

स्थानीय नगरीय निकायों के माध्यम से संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नगर निकायों द्वारा सम्पादित की जा रही अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के दिशा–निर्देश व प्रक्रिया आदि जारी किए जाने, उनकी पालना कराने एवं उनकी मोनिटरिंग किये जाने तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन व निष्पादन हेतु निदेशालय में निम्न प्रकोष्ठ कार्य कर रहे है:–

(क) संस्थापन प्रकोष्ठ।
(ख) भूमि प्रकोष्ठ।
(ग) परियोजना प्रकोष्ठ।
(घ) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ।
(ड) लेखा प्रकोष्ठ।
(च) नगर पालिका संस्थापन प्रकोष्ठ (एस.एम.ई)।
(छ) सांख्यिकी प्रकोष्ठ।
(ज) सतर्कता प्रकोष्ठ।
(झ) विधि प्रकोष्ठ।
(ञ) विविध प्रकोष्ठ।
(ट) विधानसभा प्रकोष्ठ।
(ठ) जन–सम्पर्क प्रकोष्ठ।
(ड) आई टी प्रकोष्ठ।

(ढ) नगर नियोजन प्रकोष्ठ।

(ण) उप निदेशक क्षैत्रीय कार्यालय

(त) सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (CMAR)

(थ) राज्य स्तरीय चयन आयोग

उक्त प्रकोष्ठों के द्वारा संपादित किये जा रहे मुख्य कार्यो एवं गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) संस्थापन प्रकोष्ठ :–

संस्थापन के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक है। इनके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किए जा रहे हैंः–

I. राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों का संस्थापन (आर.एम.एस.)

इस प्रकोष्ठ में राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों यथा आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी–II, अधिशाषी अधिकारी–III, अधिशाषी अधिकारी–IV, राजस्व अधिकारी–I, राजस्व अधिकारी–II, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी (चयनित, वरिष्ठ व साधारण वेतन श्रृंखला) मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, कर–निर्धारक, संयुक्त/सहायक विधि परामर्शी एवं विधि अधिकारी के पदों से संबंधित संस्थापन, पदस्थापन, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति, वार्षिक वेतन वृद्धि, तथा नियुक्ति संबंधी कार्य संपादित किये जाते है।

आयुक्त के कुछ पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कार्यरत है। राजस्थान नगर पालिका सेवा के आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी–II, अधिशाषी अधिकारी–III, राजस्व अधिकारी–I, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी व कर निर्धारक के पदों के लिये वर्ष 2022–23 तक डीपीसी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023–24 में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जा चुकी है।

वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	पदोन्नति डेफर / सील्ड कवर	रिक्त	विशेष विवरण
1.	वरिष्ठ आयुक्त	02	00	00	02	100 प्रतिशत पदोन्नति
2.	आयुक्त (RMS–47 + RAS*-15)	47	39 (RMS)	01 (RMS)	07 (RMS)	100 प्रतिशत पदोन्नति
3.	अधि0 अधि0 (द्वितीय) / सचिव	53	45	04	04	100 प्रतिशत पदोन्नति
4.	अधि0 अधि0 (तृतीय)	58	41	11	06	100 प्रतिशत पदोन्नति
5.	अधिशाषी अधिकारी – चतुर्थ	132	15	–	117	सीधी भर्ती (90 पदों हेतु RPSC द्वारा भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन)
6.	राजस्व अधि0 (प्रथम)	30	19	08	03	100 प्रतिशत पदोन्नति
7.	राजस्व अधिकारी – द्वितीय	89	19	–	70	सीधी भर्ती (21 पदों हेतु RPSC द्वारा भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन)
8.	कर निर्धारक	65	33	02	30	50 प्रतिशत सीधी भर्ती 50 प्रतिशत पदोन्नति
9.	वित्तीय सलाहकार	05	–	–	–	प्रतिनियुक्ति (RAcS)
10	मुख्य लेखाधिकारी	04	–	–	–	प्रतिनियुक्ति (RAcS)
11	वरिष्ठ लेखाधिकारी	05	03	01	01	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
12	लेखाधिकारी	25	01	01	23	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
13	सहायक लेखाधिकारी – प्रथम	38	04	01	33	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
14	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	08	07	01	00	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
15	अग्निशमन अधिकारी	26	17	02	07	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
16	स्वास्थ्य अधिकारी (च.वे.श्रृ)	05	02	00	03	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
17	स्वास्थ्य अधिकारी (व.वे.श्रृ)	07	00	00	07	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
18	स्वास्थ्य अधिकारी (सा.वे.श्रृ)	29	00	00	29	सीधी भर्ती (RMS)
19	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	03	–	–	–	प्रतिनियुक्ति
20	उप पुलिस अधीक्षक	03	–	–	–	प्रतिनियुक्ति
21	निदेशक विधि	01	–	–	–	प्रतिनियुक्ति
22	संयुक्त विधि परामर्शी	04	–	–	–	प्रतिनियुक्ति
23	उप विधि परामर्शी	06	–	–	–	प्रतिनियुक्ति
24	सहायक विधि परामर्शी	16	–	–	–	प्रतिनियुक्ति
25	विधि अधिकारी	03	–	–	–	प्रतिनियुक्ति
26	संयुक्त निदेशक जनसम्पर्क	01	00	00	01	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
27	उपनिदेशक जनसम्पर्क	02	00	00	02	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
28	सहायक निदेशक जनसम्पर्क	02	00	00	02	100 प्रतिशत पदोन्नति (RMS)
29	जन सम्पर्क अधिकारी	01	00	00	01	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति
30	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	06	00	00	06	सीधी भर्ती
30	पशु चिकित्सा अधिकारी	09	01	–	08	प्रतिनियुक्ति
32	उद्यान विज्ञ	01	00	00	01	पदोन्नति

*नगरीय निकायो में 15 उपायुक्तों के पदो पर आरएएस सेवाओं से लगाये जाते है

II. राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा तथा राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों का संस्थापन (आर.एम.एस.टी)

इस प्रकोष्ठ में राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के पदों यथा मुख्य अभियन्ता (सिविल/विद्युत), अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सिविल/विद्युत), अधीक्षण अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक), अधिशाषी अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक), सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक), वरिष्ठ नगर नियोजक, उप नगर नियोजक, सहायक नगर नियोजक एवं राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा के पद यथा कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) नगर नियोजन सहायक व वरिष्ठ प्रारूपकार पदों से संबंधित संस्थापन, पदस्थापन, स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण तथा नियुक्ति आदि कार्य संपादित किये जाते हैं। वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

राजस्थान नगर निकायो के अभियांत्रिकी संवर्ग के पदों का विवरण

क्रं.सं	केडर का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	माध्यम
1.	राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा)	मुख्य अभियन्ता (सिविल)	7	06	01	100% पदोन्नति
2.		मुख्य अभियन्ता (विद्युत)	01	01	00	100% पदोन्नति
3.		अति. मुख्य अभियंता (सिविल)	06	05	01	100% पदोन्नति
4.		अति. मुख्य अभियंता (विद्युत)	02	00	02	100% पदोन्नति
5.		अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	39	24	15	100% पदोन्नति
6.		अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	03	00	03	100% पदोन्नति
7.		अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिकी)	04	01	03	100% पदोन्नति
8.		अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	118	108	10	100% पदोन्नति
9.		अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	15	14	01	100% पदोन्नति
10.		अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिकी)	12	12	00	100% पदोन्नति
11.		सहायक अभियन्ता (सिविल)	325	265	60	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति

12.		सहायक अभियन्ता (विद्युत)	35	05	30	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
13.		सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी)	21	07	14	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
14.		वरिष्ठ नगर नियोजक	02	00	02	100% पदोन्नति
15.		उप नगर नियोजक	10	05	05	100% पदोन्नति
16.		सहायक नगर नियोजक	66	61	05	75% सीधी भर्ती 25% पदोन्नति
17.	राज0 नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा)	नगर नियोजन सहायक	22	02	20	50% सीधी भर्ती 50% पदोन्नति
18.		कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	598	486	112	100% सीधी भर्ती
19.		कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिकी)	31	02	29	100% सीधी भर्ती
20.		कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत)	59	56	03	100% सीधी भर्ती
21.		वरिष्ठ प्रारूपकार	93	93	00	25% सीधी भर्ती 75% पदोन्नति

इसके अतिरिक्त आर.एम.एस.टी तकनीकी संस्थापन अनुभाग द्वारा आर.यू.आई.डी.पी., रूड़सिको जयपुर एवं स्मार्ट सिटी में अभियन्तागणों के स्वीकृत एक्स कैड़र पदों पर पदस्थापन संबंधी कार्य भी किया जाता है।

III. राजस्थान नगरपालिका सेवा के अधिकारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही (आर.एम.एस.जॉच)

आर.एम.एस. (जांच) अनुभाग के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय है। आर.एम. एस. (जांच) अनुभाग में राजस्थान नगर पालिका सेवा के अधिकारियों एवं राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते है।

IV. संस्थापन

निदेशालय के अधीन आयोजना एवं आयोजना भिन्न मदों के अंतर्गत स्वीकृत राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों, कर्मचारियों के कुल पदो का विवरण निम्नानुसार है :–

पद	आयोजना भिन्न	आयोजना
राजपत्रित	63	10
अराजपत्रित	105	19

निदेशालय में आयोजना भिन्न मद में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (मय उपनिदेशक क्षैत्रीय) का संस्थापन कार्य इसी प्रकोष्ठ द्वारा देखा जा रहा है। **उक्त वर्गीकृत पदों की विस्तृत सूचना परिशिष्ट–II पर उपलब्ध है।**

(ख) भूमि शाखा :–

भूमि शाखा के प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय है। भूमि अनुभाग में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते है :–

राज्य की विभिन्न नगर निगम/परिषद्/पालिका द्वारा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत एवं राज्य सरकार द्वारा जारी भू–आवंटन नीति 2015 के प्रावधानानुसार खांचा भूमि, स्कूलों, चिकित्सालयों, सार्वजनिक संस्थाओं, राज्य/केन्द्रीय राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि आवंटन/विक्रय, सबडिवीजन, संयुक्तीकरण सम्बन्धी तथा भू–उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर राज्य सरकार को स्वीकृति/निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाकर निस्तारित कराये जाते हैं। नगर पालिकाओं के भूमि सम्बंधी प्रकरणों में मार्गदर्शन, भूमि अवाप्ति व अवाप्ति से मुक्ति का कार्य, मंत्रीमण्डलीय समिति उपसमिति में प्रस्तुत किये जाने हेतु एजेण्डा तैयार करना आदि कार्य सम्पादित किये जाते है।

(ग) परियोजना प्रकोष्ठ :–

इसके प्रभारी अधिकारी परियोजना निदेशक है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही योजनाओं यथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM), पीएम स्वनिधी योजना के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकार से राशि प्राप्त कर कार्यकारी ऐजेंसियो को आवंटित करना, योजनाओं की क्रियान्विति में आने वाली समस्याओं के निराकरण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये उच्च स्तरीय नीति निर्धारण समिति एवं उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों को क्रियान्विति करना इत्यादि कार्य सम्पादित किए जाते है। परियोजना निदेशक के सहयोग हेतु 01 संयुक्त निदेशक (प्लान) व 01 वरिष्ठ लेखाधिकारी (प्लान) कार्यरत हैं।

(घ) अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य नगरीय निकायों को निर्माण, विकास एवं सेनिटेशन कार्यो की तकनीकी राय, तकनीकी स्वीकृति, निदेशालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त निविदाओं का परीक्षण कर दर अनुमोदन, निर्माण कार्यो के संदर्भ में प्राप्त विभिन्न शिकायतों की जांच व अभियांत्रिकी सेवाओं में सुधार लाने, वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत कार्य, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, ठोस कचरा प्रबन्धन, जैव चिकित्सा अपशिष्ठ प्रबन्धन, बी.ओ.टी. आधारित योजना से संबंधित कार्य, मुक्तिधाम योजना, शहरी पुनर्रूद्धार योजना, वर्षा जल संरक्षण का कार्य, बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग, आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर ई–टेण्डरिंग का कार्य, पर्यावरण संरक्षण व सुधार, सीवरेज लाईन व सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के कार्य सम्पादित किए जाते है।

(ड़) लेखा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी वित्तीय सलाहकार है, इनके अधीन निदेशालय पर 02 वरिष्ठ लेखाधिकारी, 2 लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी–I एवं सहायक लेखाधिकारी–II कार्यरत हैं। लेखा शाखा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत अनुदान, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान, पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान एवं चुंगी पुनर्भरण हेतु अनुदान की स्वीकृतियां जारी की जाती है। निदेशालय, लेखा शाखा द्वारा समस्त नगर निगम/परिषद्/पालिका के क्रय, बजट एवं वित्त व लेखा सम्बन्धी ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में मार्गदर्शन/स्वीकृतियां भी जारी की जाती हैं।

लेखा शाखा द्वारा समय–समय पर दिये गये अनुदान के लेखों एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि का संधारण कार्य किया जाता है तथा 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत प्राप्त अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र सरकार को भिजवाये जाते हैं। महालेखाकार के अंकेक्षण आक्षेप एवं ड्राफ्ट पैरा संबंधी कार्य निष्पादित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त नगर पालिकाओं द्वारा की गयी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की जांच समय–समय पर कराई जाती है तथा नगर निकायों का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग तथा महालेखाकार कार्यालय द्वारा अंकेक्षण किया जाता है, उन अंकेक्षण रिपोर्टों की पालना भी इस शाखा द्वारा करायी जाती है। राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा के अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना व मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना का भी लेखा सम्बन्धी कार्य लेखा अनुभाग द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही RTPP में प्रस्तुत अपील सम्बन्धी कार्य भी लेखा अनुभाग द्वारा किया जा रहा है।

(च) नगर पालिका स्थापना प्रकोष्ठ (एस.एम.ई.) :–

इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) हैं। इनके द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं :–

राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक) सेवा नियमों 1963 के अंतर्गत विभिन्न नगर निगम/परिषद/पालिका मे कार्यरत अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के सभी कर्मचारियों के स्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण/आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना, राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम–1964 के अंतर्गत समस्त नगरीय निकाय के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारियों के प्रस्थापना संबंधी प्रकरणों का निस्तारण व प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करना। उक्त दोनों संवर्ग के स्थानान्तरण संबंधी प्रकरण।

राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से प्राप्त मांग पत्रों का निस्तारण, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का कार्य आदि।

(छ) सांख्यिकी प्रकोष्ठ :–

विभाग की वार्षिक योजना व पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को समेकित कर विभाग की पंचवर्षीय व वार्षिक योजना तैयार कर आयोजना विभाग को भिजवाना, निदेशालय के योजना से संबंधित

प्रकोष्ठों से वित्तीय/भौतिक प्रगति प्राप्त कर आयोजना विभाग में आयोजित बैठकों में भाग लेना। नगर निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आंकडों का संकलन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना, विशिष्ट संगठक योजना एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्र की योजना के प्रस्ताव तैयार करना तथा उनके वित्तीय भौतिक उपलब्धियों की सूचना संबंधित विभाग को प्रेषित करना, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण संबंधित टिप्पणी तैयार करना तथा इनकी अनुपालना रिपोर्ट मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं वित्त विभाग, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित करना, राज्य स्तरीय आयोजना समन्वय समिति की बैठक, जिला आयोजना की मानिटरिंग, मुख्यमंत्री निर्देश, बजट घोषणा, जन घोषणा आदि कार्यो की मॉनिटरिंग की जाती है। इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (सॉख्यिकी) है। इनके सहयोग हेतु प्रकोष्ठ में 01 सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं 02 संगणक के पद है, वर्तमान में 01 संगणक का पद रिक्त है।

(ज) सतर्कता प्रकोष्ठ :–

सतर्कता प्रकोष्ठ में नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व एवं चुने हुये जनप्रतिनिधियों के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जनप्रतिनिधियों के विरूद्व शिकायतों की जॉच में दोषी पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम – 2009 की धारा–39 के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर, उन्हें निलंबित कर या सीधे ही प्रकरण न्यायिक जांच हेतु विधि विभाग को भिजवाया जाता है। आलोच्य अवधि में 26 निर्वाचित जनप्रतिनिधि को निलम्बित किया गया और 05 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया गया। 04 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पद से बर्खास्त किया गया एवं 26 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रकरण न्यायिक जांच में भिजवाये गये। सतर्कता अनुभाग में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व एसीबी से प्राप्त प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति/मनाही जारी की जाती है। आलोच्य अवधि में 20 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति तथा 04 प्रकरणों में मनाही जारी की गई है। धारा 17–A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 के तहत 17 पूर्वानुमोदन जारी किये गये/पूर्वानुमोदन 01 मनाही की गई।

(झ) विधि प्रकोष्ठ :–

प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी हैं व इनके सहयोग हेतु सहायक विधि परामर्शी–1, वरिष्ठ विधि अधिकारी–1, कनिष्ठ विधि अधिकारी–2, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी–1 (02 रिक्त), सहायक प्रशासनिक अधिकारी–01 व 02 वरिष्ठ सहायक कार्यरत है। विधि अनुभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय न्यायिक अभिकरणो, राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर एवं जोधपुर पीठ) व अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार तथा नगरीय निकायों के विरूद्ध दायर याचिकाओं/दावों के संबंध में प्रभारी अधिकारी/अधिवक्ता नियुक्त करने एवं पर्यवेक्षण, परामर्श, परीक्षण का कार्य, पैनल

अधिवक्ता/विधि सलाहकारों की नियुक्ति, अन्य अनुभागों द्वारा प्राप्त पत्रावलियों पर राय देने आदि का कार्य किया जाता है।

विधि अनुभाग द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम–2009 में संशोधन व अन्य नियमों में संशोधन सम्बधी समस्त कार्य किया जाता है। प्रशासनिक विभाग के अधीन समस्त अधिनियमों/नियमों का प्रारूपण एवं उनमें समय–समय पर किये जाने वाले संशोधनो का कार्य भी किया जाता है।

समस्त निकायों की मंडल बैठकों व समितियों की बैठकों में पारित प्रस्तावों का परीक्षण, नगरीय निकायों में मनोनीत/सहवृत सदस्यों (पार्षद) की नियुक्ति करना/हटाना सम्बन्धित समस्त कार्य। राजस्थान किराया नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पादित किये जाते है।

(ञ) विविध प्रकोष्ठ/मूर्ति स्थापना नामकरण :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन) है। नगरीय निकाय क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों एवं चौराहों पर मूर्ति स्थापना तथा चौराहों एव रास्तों के नामकरण सम्बन्धी नीति निर्धारण एवं प्रस्तावों पर यथोचित कार्यवाही की जाती है।

उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा राजस्थान की सभी नगर निकायों में चुनाव के कार्य, वार्डो का आरक्षण, परिसीमांकन एवं निकायों का गठन एवं राजस्थान के समस्त नगर निगम/परिषद/पालिका के सीमा विस्तार/संकुचन का कार्य किया जाता है।

(ट) विधानसभा प्रकोष्ठ :–

इस प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (प्रशासन)/अवर शासन सचिव है। प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले तारांकित व अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सम्बन्धित नगरीय निकायों से प्राप्त कर भिजवाना, सत्र के दौरान माननीय मंत्री, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिये गये आश्वासनों की क्रियान्विति करवाना, याचिका, अन्य विभाग से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर, ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/स्थगन कट मौशन के उत्तर तैयार कर भिजवाना एवम् विधानसभा द्वारा गठित विभिन्न समितियों एवं याचिकाओं के कार्यों की क्रियान्विति करना।

(ठ) जन–सम्पर्क प्रकोष्ठ :–

वर्तमान में विभागीय जनसम्पर्क प्रकोष्ठ के प्रभारी सहायक जनसम्पर्क अधिकारी है। इनके द्वारा मुख्य रूप से राज्य सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं विभिन्न योजनाओं का प्रचार–प्रसार, समय–समय पर प्रेस नोट, विज्ञापन, विशिष्ट लेख इत्यादि जारी किये जाते है।

प्रतिदिन राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विभिन्न समाचारों का अवलोकन उच्च स्तर पर करवाया जाता है। समय–समय पर विभागीय समारोहों एवं बैठकों के कवरेज व विभागीय विज्ञापनों के प्रारूप तैयार कर प्रकाशन करवाया जाता है। प्रेस कांफ्रेंस एवं प्रेस वार्ताओं के आयोजनों एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में विभागीय भागीदारी निभाई जाती है।

इसके अलावा विभाग में समय–समय पर होने वाले प्रकाशनों हेतु सामग्री तैयार कर उनका मुद्रण करवाना। समय–समय पर विभाग के संबंध में प्रकाशित ऋणात्मक समाचारों की रिपोर्ट मंगवाकर उच्च स्तर पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया का प्रबंधन कार्य तथा इलेक्ट्रिक मिडिया में विज्ञापन बनवाकर जारी करवाने संबंधी कार्य भी जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।

(ड) आई टी प्रकोष्ठः–

(क) ई–गवर्नेंस :– इसका कार्य e-Governance को बढ़ावा देना एवं इस सम्बन्ध में विभाग को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DOIT&C) के माध्यम सें नगरीय निकायों की सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाकर ऑनलाईन किया गया है। वर्तमान में विभाग की नगरीय निकायों द्वारा दी जाने वाली कतिपय सेवाओं को ऑनलाईन कर सभी नगरीय निकायों में लागू किया गया है, जो निम्नानुसार हैः–

1. Online Building Plan Approval System
2. Fire NOC & Renewal
3. Trade License & Renewal
4. Sewer Connection
6. UD /Property Tax
7. Mobile Tower & OFC permission
8. 90-A (Land Conversion)
9. Name Transfer (Mutation)
10. Lease Deed (Patta)
11. Lease Money Deposit
12. Subdivision & Reconstitution
13. Signage License
14. e-auction
15. Property ID

इन सेवाओं के माध्यम से आवेदक आवेदन से लेकर अनुमति/स्वीकृति Online घर बैठे ही प्राप्त कर सकता है। विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों की Website का विकास DoIT&C के माध्यम से कराया गया है जिनका तकनीकी सहयोग भी ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। प्रकोष्ठ द्वारा Ease of Doing Business (EoDB), Single Window Clearance System (SWCS)

सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है। ई–गवर्नेंस प्रकोष्ठ में वर्तमान में एस.ए., ए.सी.पी., प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सूचना सहायक कार्यरत हैं।

प्रकोष्ठ नगरीय निकायों में दी जा रही नागरिकोन्मुखी/विभागीय ई–गवर्नेंस सेवाओं के लिये आधारभूत आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ बनाने की ओर भी कार्य कर रहा है।

(ख) आई.टी. :– इसका कार्य आई.टी. को बढ़ावा देना एवं इस सम्बन्ध में विभाग को आई.टी. से सम्बधित तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DOIT&C) के माध्यम सें विभाग एवं निदेशालय को आई.टी. सेवाओं का कार्यान्वयन करवाना व आवश्यतानुसार आई.टी. सेवाऐ विकसित करवाना ही इस प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य हैं वर्तमान मे यह प्रकोष्ठ निदेशालय मे इन्टरनेट (OFC, SecLan), निदेशालय स्तर से होने वी.सी. का आयोजन व वी.सी सेटअप करवाना, राजकाज, सम्पर्क पोर्टल, एसपीपीपी, जनकल्याण, जन सूचना पोर्टल, राजमास्टर, e-Proc. Department and DLB's Website, MyBharat, कर्मयोगी इत्यादि से सम्बन्धित कार्य इस प्रकोष्ठ द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। नगरीय निकायों की सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाकर ऑनलाईन किया गया है। आई.टी. प्रकोष्ठ में वर्तमान में ए.सी. पी., प्रोग्रामर, सूचना सहायक कार्यरत हैं।

(ढ) नगर नियोजन प्रकोष्ठ

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में नगरीय निकायों के नगर नियोजन संबंधी कार्यों के निष्पादन हेतु नगर नियोजन प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी वरिष्ठ नगर नियोजक है।

नगर नियोजन प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य राज्य के विभिन्न स्थानीय निकायों से राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित नगर नियोजन संबंधी तकनीकी प्रकरणों यथा भू–उपयोग परिवर्तन, भवन निर्माण स्वीकृति, कृषि भूमि नियमन, उपविभाजन/पुनर्गठन एवं भवन विनियम संबंधी प्रकरणों आदि में तकनीकी परीक्षण व राय दिया जाना है।

केन्द्र सरकार की अमृत योजना–2.0 के अन्तर्गत राज्य के 50,000 से 01 लाख आबादी के 62 शहरों के जी.आई.एस. आधारित मास्टर प्लान विभिन्न चरणों में तैयार किये जाने है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत स्टेट एक्शन प्लान को अनुमोदित किया जाकर, प्रथम किश्त जारी की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय चरण में 31 शहरों के मास्टर प्लान तैयार तथा अपडेट किये जा रहे है।

राज्य की नवगठित नगर पालिकाओं के GIS Based मास्टर प्लान तैयार करने हेतु कुल 38 नगरीय निकायों के ड्रोन सर्वे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से करवाया जाकर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान द्वारा मास्टर प्लान तैयार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

राज्य के नगरीय क्षेत्रों के लैण्ड रिकॉर्ड तैयार किये जाने तथा अरबन जीओ डाटा क्रियशेन हेतु भारत सरकार की योजना NAKSHA. "National geospatial Knowledge 'based land Survey of urban Habitations" पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत् राज्य के 10 शहरों यथा ब्यावर, बगरू, बहरोड़, पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर, नवलगढ़, सवाई माधोपुरा, किशनगढ़ एवं भिवाड़ी को चयनित किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे तथा फील्ड सर्वे के माध्यम से शहरों में स्थित समस्त भूमियों का डिजिटाईजेशन किया जाकर राईट ऑफ रिकॉर्ड तैयार किया जावेगा।

(ण) उप निदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय :–

विभाग के अधीन 07 क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवम् उदयपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले नगर निगम/परिषद/पालिका के सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाना, नगर पालिका/परिषद/निगम के बकाया अंकेक्षण आक्षेपों, प्रारूप प्रालेखों, महालेखाकार के आक्षेपों, गबन प्रकरणों की अनुपालना करवाकर नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी कर आक्षेपों का निस्तारण करवाना। लंबित न्यायिक प्रकरणों की मोनिटरिंग, अधीनस्थ नगर पालिकाओं का निरीक्षण कर अराजपत्रित कर्मचारियों के संस्थापन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 335(4) की अपील सुनना एवं निस्तारण, क्षेत्राधिकार के अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विचाराधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही अन्तर्गत 17 सी.सी.ए की निष्पादन की कार्यवाही करना, विभिन्न शिकायतों पर जांच करना, राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी सेवा चयन आयोग पदोन्नति मण्डल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना एवं क्षेत्राधिकार की नगर पालिकाओं में चल रही विभिन्न योजनाओं की मोनिटरिंग करना।

(त) सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (सी.एम.ए.आर) :–

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान (राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958) के अन्तर्गत निदेशालय स्थित एक पंजीकृत संस्था है। यह संस्था निकायों द्वारा प्रदत्त सदस्यता शुल्क के आधार पर प्रशिक्षण का कार्य करती है। यह संस्था USAID, US-AEP & ICMA के सहयोग से शहरी स्थानीय निकायों को उनके कार्य बेहतर ढ़ंग से करने हेतु प्रशिक्षण तथा विभागीय कार्यशालायें आयोजित कर बेहतर समन्वय स्थापित करती है। संस्था, नगर निकायों द्वारा किये गये श्रेष्ठ कार्यों का आलेखन कर स्थानीय एवं देश विदेश के नगर निकायों में श्रेष्ठ कार्यो का आदान–प्रदान करती है। संस्था द्वारा एक वेबसाईट का संचालन किया जा रहा है, जिसका वेब एड्रेस www.cmar-india.org है। संस्था द्वारा अन्य राज्यों व देशों के शहरी निकायों के प्रतिनिधियों का शैक्षणिक भ्रमण, कार्यशाला, सेमीनार व पारस्परिक

अध्ययन आदि का आयोजन भी समय–समय पर करवाया जाता है। प्रकोष्ठ द्वारा निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग में एक पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। प्रकोष्ठ द्वारा अनेकानेक राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय एवं संभागवार कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों हेतु क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। अनेक गैर सरकारी व अर्न्तराष्ट्रीय स्तरीय संस्थान जैसे ICMA, NIUA, BMGF, CFAR, SMS Envocare, CSE, ICLEI South Asia, Janaagraha, UMC, CUTS International, CDD, ISPER आदि सीएमएआर के सहयोग व समन्वयन से अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम व राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय Exposure Visit आयोजित कर चुके है। CMAR के समन्वय से स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों (सूरत, इन्दौर, नागपुर एवं अम्बिकापुर) में हो रहे नवाचारों एवं क्षमता संवर्द्धन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया।

सीएमआर द्वारा संभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम व समीक्षात्मक बैठकें एवं सीएमएआर के समन्वयन द्वारा निदेशालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किये जाते है।

सीएमएआर द्वारा मई, 2024 व अक्टूबर, 2024 में सहायक नगर नियोजक (बैच 2021) व वरिष्ठ प्रारूपकार (बैच 2021) का 04 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सीएमएआर द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अन्य विभागों में प्रस्तुतीकरण एवं क्षमता संवर्द्धन किया जाता है। निदेशालय के प्रशासनिक अधिकारियों हेतु विभिन्न योजनाओं की आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन प्रक्रियाधीन है।

सीएमएआर द्वारा विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय महाविद्यालयों जैसे Berkeley University, Pennsylvania University आदि में विभिन्न विषयों पर ऑनलाईन अनुभव साझा किये जाते है व सहयोग (Non-Financial) प्रदान किया जाता है।

(द) राज्य स्तरीय चयन आयोग

स्वायत्त शासन विभाग के अधीन नगरीय निकायों में सीधी भर्ती योग्य रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राज्य स्तरीय चयन आयोग का गठन विभागीय नोटिफिकेशन दिनांक 16.05.2011 द्वारा किया गया।

उक्तानुसार गठित आयोग द्वारा नगरीय निकायों के प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा, अधीनस्थ एवं मंत्रालिक सेवा के पदों पर सीधी भर्ती सम्बन्धित कार्यवाही की जाती रही है।

विभागीय नोटिफिकेशन दिनांक 20.05.2022 द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार राजस्थान नगर पालिका (प्रशासनिक एवं तकनीकी) सेवा के अन्तर्गत आने वाले पदों पर सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार विभागीय नोटिफिकेशन दिनांक 12.11.2022 द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ मंत्रालिक) सेवा के अन्तर्गत आने वाले पदों पर सीधी भर्ती कार्यवाही राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है।

(3) विभागीय बजट

स्थानीय निकाय विभाग का आयोजना भिन्न मद का संपूर्ण व्यय बजट मद ''2217'' शहरी विकास, 80–सामान्य, 01–निदेशन एवं प्रशासन, 06–स्थानीय निकायों का संचालन, 01– संस्थापन व्यय से वहन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 बजट का वास्तविक व्यय तथा 2024–25 के परिवर्तित बजट प्रावधान का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू. में)

क्रं. स.	बजट मद/उप मद	वास्तविक व्यय 2023–24	परिवर्तित बजट प्रावधान 2024–25
1.	संवेतन	1190.53	1500.00
2.	यात्रा व्यय	1.02	2.00
3.	चिकित्सा व्यय	0.00	0.01
4.	कार्यालय व्यय	6.85	14.00
5.	वाहन संधारण	0.00	0.00
6.	डिक्रीटल व्यय	0.00	0.01
7.	कम्प्यूटराइजेशन व्यय	41.89	50.00
8.	संविदा व्यय	141.55	150.00
9.	वाहनों का किराया	7.97	8.50
10.	अनुरक्षण (R&M)	2.69	3.00
11.	वर्दियां व अन्य सुविधाऐं	0.09	0.11
12.	विज्ञापन	0.00	0.35
13.	बिजली एवं पेयजल व्यय	30.00	30.00
14.	स्टेशनरी व्यय	7.75	10.00
	योग	**1430.34**	**1767.98**

उपरोक्तानुसार बजट में प्रावधित राशि का उपयोग निदेशालय तथा 07 संभागीय स्तर पर स्थापित क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालयों–जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर एवं अजमेर द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार वेतन–भत्तों, कार्यालय व्यय, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता आदि हेतु किया जाता है।

(राशि लाख रु. में)

क्रं. स.	बजट मद /उप मद	वास्तविक व्यय 2023–24	परिवर्तित बजट प्रावधान 2024–25
	आयोजना/सीएसएस		
1.	राज्य वित्त आयोग अनुदान (निष्पादन अनुदान)	0.00	7370.00
2.	SFC GRANT	93017.40	140038.00
3.	विशेष अनुदान	0.00	0.00
4.	शहरी जन सहभागी योजना	40.12	100.00
5.	शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान (आरओबी)	351.00	2000.00
6.	अग्निशमन सेवाऐं	0.00	0.00
7.	14वां वित्त आयोग अनुदान	0.00	0.00
8.	चुंगी पुनर्भरण हेतु अनुदान	290000.00	319005.00
9.	जलप्रदाय योजना	0.00	0.03

10.	ठोस कचरा प्रबन्धन	0.00	0.03
11.	आर.यू.डी.एफ	55628.00	10000.00
12.	जल एवं सीवरेज परियोजना	0.00	0.00
13.	आरटीआईडीएफ	85325.30	127822.12
14.	सीवरेज लाईन साफ सफाई	0.00	0.03
15.	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	1000.00	0.03
16.	सडकों की मरम्मत/सुधार/पुनर्उद्धार	30000.00	70000.00
17.	एनयूएलएम (प्लान)	2504.07	4500.00
18.	सेवा चयन आयोग	40.77	60.13
19.	एलएसजी भवन निर्माण	0.00	0.01
20.	शहरी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति	0.00	0.03
21.	स्वच्छ भारत मिशन	0.00	0.12
	स्वच्छ भारत मिशन 2.0	12323.49	106599.06
22.	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)	854.18	5326.03
	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0	33162.65	398767.06
23.	स्मार्ट सिटी (जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर)	9800.00	13900.31
24.	राजस्थान झील विकास प्राधिकरण	525.00	32.02
25.	ग्लोबल एन्वायरमेन्ट फैसेलिटी फॉर जेसीटीएसएल	0.00	0.01
26.	श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना	0.00	5000.00
27.	प्रधानमंत्री आवास योजना	31537.76	510093.34
28.	केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत बेसिक अनुदान	0.00	0.00
29.	केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान	0.00	0.06
30.	इन्दिरा गांधी रसोई योजना	0.00	0.00
31.	पार्को का विकास	0.00	0.00
32.	राज्य सफाई कर्मचारी आयोग अनुदान	60.00	60.00
33.	जल संरक्षण उपकर निधि से संचालित योजनाऐं	0.00	0.01
34.	15वां वित्त आयोग अनुदान	85207.00	246457.82
35.	रूडसिको में निवेश	0.00	0.03
36.	इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना	10.59	100.00
37.	इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना	30000.00	30000.00
38.	जयपुर हैरिटेज का संरक्षण	0.00	100.00
39.	विकास कार्यो हेतु नगरीय निकायों के विशेष अनुदान	2025.00	0.06
40.	स्ट्रीट लाईट स्कीम (RUDF)	0.00	10000.00

(4) विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनायें

(1) षष्टम राज्य वित्त आयोग

राज्य सरकार द्वारा षष्टम राज्य वित्त आयोग का गठन नगरीय निकायो को राज्य निधि में से वर्ष 2020–21 व 2024–25 की अवधि के लिये हिस्सा राशि निर्धारण हेतु किया गया है। षष्टम राज्य वित्त आयोग ने वर्ष 2020–21 व 2021–22 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन अभी तक जारी नहीं किया गया है। षष्टम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगरीय निकायो को निम्नानुसार राशि का बजट प्रावधान किया गया हैः–

(राशि रूपये करोड़ में)

अनुदान का प्रकार	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल अनुदान	941.86	1198.64	1255.85	1330.36	2171.72
प्रोत्साहन अनुदान (कार्य निष्पादन अनुदान)	48.42	73.70	115.91	70.02	114.30
योग	**990.28**	**1272.34**	**1371.76**	**1400.38**	**2286.02**

वित्तीय वर्ष 2024–25 में मूल अनुदान की प्रथम किश्त राशि रूपये 1085.86 करोड़ का हस्तान्तरण नगरीय निकायो किया जा चुका है।

अनुदान का उपयोग–

राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग आधारभूत और विकासात्मक कार्यो यथा स्वच्छता जिसमें सीवरेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, सौर/एल.ई.डी. लाइटों का उपयोग, सड़कों एवं फुटपाथों, पार्कों, मैदानों, अग्निशमन सेवाओं, सामुदायिक केन्द्र तथा कब्रिस्तान एवं श्मशान स्थलों का रख–रखाव, जैसी मूलभूत सेवायें (जिसमें निकायो के भवनों का रख–रखाव एवं नवगठित नगरपालिकाओं हेतु नये भवन का संनिर्माण भी शामिल है) पर किया जाता है। नगरीय निकायो में स्वच्छता कर्मचारियो के वेतन और भत्तो का संदाय आवश्यकता होने पर अन्तरिम व्यवस्था के रूप में किया जा सकेगा। इस राशि का उपयोग अन्य आधारभूत सेवाओं एवं विकासात्मक कार्यो पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने पर भी किया जा सकता है। साथ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुदान राशि का उपयोग निम्न कार्यो पर नहीं किया जावेगा (i) किसी भी व्यक्ति, पदधारी या जन प्रतिनिधियों की वैयक्तिक आवश्यकताओं/अपेक्षाओं पर, (ii) विज्ञापन प्रदर्शन, यानों के क्रय, कर्मचारियों (स्वच्छता स्टॉफ और विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त) के वेतन और भत्तों।

अनुदान का वितरण–

षष्टम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि का नगरीय निकायो के मध्य वितरण राज्य वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किये गये फार्मूले के अनुसार किया जा रहा है जो निम्न प्रकार हैः–

55 प्रतिशत	जनसंख्या के आधार पर सभी नगरीय स्थानीय निकायो को
15 प्रतिशत	क्षेत्र के आधार पर सभी नगरीय स्थानीय निकायों को
20 प्रतिशत	सभी नगरपालिकाओं के मध्य जनसंख्या के आधार पर
10 प्रतिशत	नगरपालिकाओं को उच्चतम प्रति व्यक्ति स्वंय की आय से प्रति व्यक्ति स्वयं की आय विचलन के अनुपात में।

(2) पन्द्रहवें वित्त आयोग (केन्द्रीय वित्त आयोग) के तहत अनुदान –

(अ) वर्ष 2024–25 में राज्य की नगरीय निकायों के सशक्तिकरण हेतु कुल राशि रूपये 1631.00 करोड़ के अनुदान दिये जाने की सिफारिश की गयी है। जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

(क) मिलियन प्लस (दस लाख) से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों, और

(ख) नॉन मिलियन प्लस (दस लाख) से कम की आबादी वाले सभी अन्य शहर और नगर

(राशि करोड़ों मे)

राज्य का नाम	मिलियन प्लस श्रेणी की नगरीय निकाय हेतु राशि	नॉन मिलियन प्लस (दस लाख) से कम की आबादी वाले सभी अन्य शहर	राजस्थान राज्य को प्राप्त होने वाली कुल राशि
राजस्थान	493.00	1138.00	**1631.00**

अनुदान का उपयोग–

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अनुदान राशि का उपयोग निम्नानुसार किया जावेगाः–

(क) मिलियन प्लस से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों के लिये – मिलियन प्लस शहरो को सम्पूर्ण अनुदान राशि बाध्य अनुदान के रूप में देय है। अनुदान राशि का उपयोग वायु गुणवता में सुधार लाने तथा पेयजल एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबन्ध हेतु किया जावेगा।

(ख) नॉन मिलियन प्लस (दस लाख) से कम की आबादी वाले सभी अन्य शहर और नगर के लिये पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा वितरित मूल अनुदान राशि का उपयोग नगरीय निकायो द्वारा जहां स्थानीय जरूरतों को महसूस किया जा सके वहां स्थानीय जरूरत मुताबिक वेतन एवं स्थापना व्ययों को छोड कर किया जा सकता है तथा बाध्य अनुदान राशि का उपयोग निकाय क्षेत्र में पेयजल एवं ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन हेतु किया जावेगा।

(ब) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थानीय शासन के माध्यम से शहरी स्वास्थ्य हेतु अनुदान की निम्नानुसार सिफारिशें की गयी है :–

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं हेतु बुनियादी ढांचे के लिए सहायता :–

वर्ष 2024–25 हेतु राशि रूपये 30.66 करोड़ की सिफारिश की गयी है।

(ब) शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र हेतु :–

वर्ष 2024–25 हेतु राशि रूपये 117.41 करोड़ की सिफारिश की गयी है।

(3) चुंगी पुनर्भरण अनुदान –

राज्य की समस्त नगरीय निकायो के कार्मिकों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु वर्ष 2022–23 से चुंगी पुनर्भरण अनुदान राशि का हस्तान्तरण विभाग द्वारा खोले गये यूनिफाईड निजी निक्षेप खाता संख्या 18938 में अनुदान राशि का प्रथमतः हस्तान्तरण करवाये जाने के तत्पश्चात् निकाय में कार्यरत कार्मिको को मध्यनजर रखते हुये राशि का हस्तान्तरण नगरीय निकाय के निजी निक्षेप खाते में किया जाता है। वर्ष 2024–25 में चुंगी पुनर्भरण अनुदान हेतु राशि रूपये 3190.05 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है।

(4) <u>मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना :–</u>

योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे जरूरतमंद परिवारों के 18 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों को अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार उपलब्ध करवाकर आर्थिक संबल प्रदान करना है। निःशुल्क पंजीयन के आधार पर ऐसे परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 125 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

योजनान्तर्गत अन्य विभागों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के माध्यम से भी कार्य करवाये जा सकते है।

- योजनान्तर्गत निम्नांकित कार्यों का क्रियान्वयन अनुमत है :–
  - पर्यावरण संरक्षण कार्य।
  - जल संरक्षण संबंधित कार्य।
  - स्वच्छता एवं सेनीटेशन संबंधित कार्य।
  - सम्पत्ति विरूपण रोकने से संबंधित।
  - कन्वर्जेन्स कार्य।
  - सेवा संबंधित कार्य।
  - हैरिटेज से संबंधित कार्य।
  - अन्य कार्य।

संगठनात्मक ढांचा
(मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना)
माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग

प्रमुख शासन सचिव

निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव

परियोजना निदेशक (तकनीकी) **वित्त प्रबंधक**

अतिरिक्त परियोजना निदेशक (तकनीकी) **लेखा मैनेजर**

लेखा सहायक

उप परियोजना निदेशक (तकनीकी) **एनालिस्ट कम प्रोग्रामर**

सहायक अभियन्ता **स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर**

एम.आई.एस.मैनेजर

राज्य स्तर पर एम.एस.आर.जी.वाई योजना अन्तर्गत स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरणः–

क्र.सं.	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पद
1.	परियोजना निदेशक (तकनीकी)	01	00	01
2.	वित्त प्रबंधक	01	00	01
3.	अतिरिक्त परियोजना निदेशक (तकनीकी)	01	00	01
4.	उप परियोजना निदेशक (तकनीकी)	02	02	00
5.	एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	00	01
6.	सहायक अभियन्ता	03	01	02
7.	लेखा मैनेजर (संविदा पद)	01	00	01
8.	स्टेट एम.आई.एस. मैनेजर (संविदा पद)	01	01	00
9.	लेखा सहायक (संविदा पद)	02	01	01
10.	एम.आई.एस.मैनेजर (संविदा पद)	04	03	01
योग		**17**	**08**	**09**

निकाय स्तर पर एम.एस.आर.जी.वाई योजना अन्तर्गत स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	स्वीकृत पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त पद
नगर निगम (10)				
1.	तकनीकी सहायक (5)	50	32	18
2.	लेखा सहायक (3)	30	26	04
3.	एम.आई.एस. मैनेजर (3)	30	22	08
4.	शहरी रोजगार सहायक (7)	70	48	22
	योग	**180**	**128**	**52**
नगर परिषद (34)				
1.	तकनीकी सहायक (3)	102	78	24
2.	लेखा सहायक (2)	68	59	09
3.	एम.आई.एस. मैनेजर (2)	68	58	10
4.	शहरी रोजगार सहायक (4)	136	96	40
	योग	**374**	**291**	**83**
नगर पालिका (196)				
1.	तकनीकी सहायक (2)	392	249	143
2.	लेखा सहायक (1)	196	150	46
3.	एम.आई.एस. मैनेजर (1)	196	155	41
4.	शहरी रोजगार सहायक (2 एवं 3)	405	248	157
	योग	**1189**	**802**	**387**

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना:–योजना प्रारम्भ से आदिनांक तक 6.52 लाख परिवारों को पंजीकृत किया गया है। जिसमें वर्ष 2022–23 में 2.84 लाख परिवारों को तथा वर्ष 2023–24 में 3.19 लाख तथा वर्ष 2024–25 में 1.83 लाख परिवारों को रोजगार आवंटित किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 13358 कार्य स्वीकृत कर राशि रू. 200.31 करोड़ का तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 10759 कार्य स्वीकृत कर राशि रू. 339.03 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल 2746 कार्य स्वीकृत कर राशि रू. 113.61 करोड़ का भुगतान किया गया है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में 166.61 लाख मानव दिवस सृजित एवं वर्ष 2023–24 में 202.61 लाख मानव दिवस सृजित तथा वर्ष 2024–25 में 86.48 लाख मानव दिवस सृजित किये गये है।

योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों में से 80 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिक लाभान्वित हो रही है।

- **योजनान्तर्गत प्रारम्भ से 31.12.2024 तक लाभान्वित परिवारों की संख्या**

विवरण	2022–23	2023–24	2024–25	योजना प्रारम्भ से आदिनांक तक उपलब्धि
➢ 1 से 50 दिवस	146971	156663	101521	405155
➢ 51 से 75 दिवस	40170	39870	15951	95991
➢ 76 से 100 दिवस	37686	31666	9300	78652
➢ 101 से 125 दिवस	0	30761	8566	39327

- **विशेष पहल एवं उपलब्धियॉः–**

वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण हेतु राज्य की नगरीय निकायों द्वारा मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिकों को पौधारोपण कार्यों पर प्राथमिकता से नियोजित किया गया। वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में 51.34 लाख से अधिक पौधे लगाये गये।

(5) दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुर्नगठित (Restructure) कर इसका नाम दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) कर दिया गया है। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

- राज्य में DAY-NULM का क्रियान्वयन प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2014–15 से राज्य के सभी 33 जिला मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 1 लाख या अधिक आबादी वाले सभी 7 शहरों (किशनगढ़, ब्यावर, भिवाड़ी, हिण्डोनसिटी, गंगापुरसिटी,

सुजानगढ़ व मकराना) सहित कुल 40 नगर निकायों में किया जा रहा था। यह योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से राज्य की सभी नगर निकायो में प्रारम्भ कर दी गई है। DAY-NULM में केन्द्र व राज्य का अंश क्रमशः 60:40 है।

- DAY-NULM में भी SJSRY की भांति सिर्फ बीपीएल चयनित परिवारों को ही लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है, लेकिन DAY-NULM में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने परिपत्र 05 दिसम्बर, 2014 द्वारा बीपीएल सूची के अलावा स्टेट बीपीएल सूची व अन्त्योदय सूची में सम्मिलित परिवार तथा ऐसे शहरी गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय रू. 3.00 लाख तक है, को भी DAY-NULM कें अन्तर्गत लाभान्वित करने का निर्णय लिया।
- वित्तीय वर्ष 2013–14 के अंत में अर्थात 31 मार्च, 2014 को SJSRY/DAY-NULM अन्तर्गत राज्य में राशि रू. 2331.11 लाख केन्द्रीय अंश व राशि रू. 777.04 लाख राज्यांश अर्थात कुल राशि रू. 3108.15 लाख अवशेष थे, जिसका उपयोग DAY-NULM में किया गया। वर्ष 2014–15 से योजनान्तर्गत प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	राशि		कुल
		केन्द्रीयांश	राज्यांश	
1	2014–15	6532.15	2177.38	8709.53
2	2015–16	0	0	0
3	2016–17	791.56	527.71	1319.27
4	2017–18	2851.00	1900.67	4751.67
5	2018–19	3109.80	2073.20	5183.00
6	2019–20	3810.75	2540.50	6351.25
7	2020–21	3930.70	2620.47	6551.17
8	2021–22	4053.11	2702.07	6755.18
9	2022–23	0	0	0
10	2023–24	1500.00	1000.00	2500.00

DAY-NULM के घटकों का विवरण व उनके क्रियान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है :–

A. Capacity Building and Training (CB&T) :-

- राज्य स्तर पर DAY-NULM के क्रियान्वयन के प्रबंधन हेतु माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद् (Governing Council) व शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति

(State Level Executive Committee) तथा जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (District Level Executive Committee) का गठन किया गया है।

- निदेशालय के परियोजना प्रकोष्ठ में DAY-NULM के लिए State Mission Management Unit - SMMU बनाया गया है। इसी प्रकार DAY-NULM के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर District Mission Management Unit - DMMU का गठन किया जा चुका है तथा नगर निकाय स्तर पर सामुदायिक संगठकों (CO) की सेवायें ली जा रही है, जो आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी के अधीन कार्य कर रहे है।

B. Social Mobilisation and Institution Development (SM & ID) :-

- DAY-NULM में स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) के गठन का कार्य किया जाता है, जिसके अंतर्गत शहरी गरीब परिवार का न्यूनतम एक सदस्य (जिसमें महिला को प्राथमिकता दी जाये) आवश्यक रूप से SHG का सदस्य बनाया जायेगा। स्वयं सहायता समूह में 10–20 सदस्यों के द्वारा (महिलाओं एवं विशेष परिस्थिति में पुरूष सदस्यों) एक ग्रुप के रूप में वस्तुओं का उत्पादन कर क्रय–विक्रय सम्बन्धी गतिविधियां की जा रही है, जिससे समूहो को आर्थिक संबल मिल रहा है। यह समूह एक साथ अपनी छोटी–छोटी बचत को इकट्ठा कर आपस में लेनदेन करते है तथा ग्रुप के सदस्य अपनी नियमित बैठके करते है। DAY-NULM के अन्तर्गत शहरी बीपीएल परिवारों के SHG बनाये जाते है, जिसमें न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य शहरी बीपीएल/शहरी गरीब परिवार से होने अनिवार्य है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2024 तक 2105 स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं योजना के प्रारम्भ से दिसम्बर 2024 तक कुल 34629 SHG का गठन किया जा चुका है।
- बस्ती/वार्ड स्तर पर 10–20 SHGs मिलकर अपना एक संगठन बनायेंगे, जिसे Area Level Federation-ALF कहा जायेगा तथा सभी ALFs मिलकर शहर स्तर पर City Level Federation-CLF का गठन करेंगे, बड़े शहरों में एक से अधिक CLFs भी गठित किये जा सकते है। प्रत्येक SHG से नामित दो सदस्य ALF के सदस्य होगे तथा प्रत्येक ALF का एक नामित सदस्य CLF का सदस्य होगा। ALF तथा CLF का पंजीयन कराना अनिवार्य है। राज्य में अब तक कुल 971 एरिया लेवल फैडरेशन (ALF) तथा 31 सिटी लेवल फैडरेशन (CLF) का गठन किया जा चुका है।
- ROs **का चयन**– SHG, ALF & CLF आदि के गठन, उनके विकास, बैंक लिंकेज तथा इससे सम्बंधित अन्य समस्त गतिविधियों के लिए Resource Organisations-ROs का सहयोग लिया जा सकता है, जिसके लिए ROs को प्रति SHG अधिकतम रू. 10,000 तक का भुगतान DAY-NULM योजना की गाईडलाईन के अनुसार कुल 05 किस्तों में सम्बंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा।
- **रिवोल्विंग फण्ड** - SHG द्वारा न्यूनतम 3 माह तक कार्य करने पर उसे सहयोग हेतु DAY-NULM की राशि में से रू. 10,000 प्रति SHG रिवोल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराये जाते है, इसके लिए SHG के सदस्यों में न्यूनतम 70 प्रतिशत सदस्य बी.पी.एल/शहरी गरीब होने अनिवार्य है SJSRY के तहत गठित SHG जिन्होनें पहले रिवोल्विंग फण्ड नही लिया है, उन्हे भी यह

रिवोल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रत्येक रजिस्ट्रर्ड ALF को सहयोग हेतु रू. 50,000 रिवॉल्विंग फण्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2024 तक 1238 स्वयं सहायता समूहों को एवं 23 एरिया लेवल फैडरेशन को रिवॉल्विंग फण्ड जारी किया जा चुका है। योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 26689 SHG एवं 715 एरिया लेवल फैडरेशन (ALF) को रिवॉल्विंग फण्ड जारी किया जा चुका है।

- **Universal Financial Inclusion (UFI) &**DAY-NULM का उद्देश्य सभी शहरी बी.पी.एल परिवारों का बैकिंग सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय मामलों में समावेश करना भी है। इसके लिए नगरीय निकाय द्वारा सभी शहरी बीपीएल परिवारों को वित्तीय साक्षरता (Financial literacy) के तहत व्यक्ति को बचत करना, ऋण प्राप्त करना, राशि हस्तांतरण व बीमा आदि करने की जानकारी देना सम्मिलित है। इसके लिए बैंको के माध्यम से नगरीय निकाय द्वारा Financial Literary Camps का आयोजन किया जाता है।

- **शहरी आजीविका केन्द्रः**–DAY-NULM के तहत प्रत्येक शहर में न्यूनतम एक शहरी आजीविका केन्द्र (City Livelihoods Center-CLC) स्थापित किया जायेगा, जहां शहरी गरीबों द्वारा अपनी सेवायें तथा उत्पादन बेचने व बैकिंग तथा प्रशिक्षण आदि से सम्बंधित अन्य कार्यवाही सम्पादित होंगी। नगर निकायों में CLCs की स्थापना शहर की जनसंख्या अनुसार निम्नानुसार की जा सकेंगी :–

1. जनसंख्या 03 लाख तक CLC की संख्या	–	01
2. जनसंख्या 03 लाख से 05 लाख तक CLC की संख्या	–	02
3. जनसंख्या 05 लाख से 10 लाख तक CLC की संख्या	–	03
4. जनसंख्या 10 लाख से अधिक CLC की संख्या	–	अधिकतम 08

एक CLC की स्थापना हेतु DAY-NULM के तहत तीन किस्तो में राशि रूपये 10.00 लाख की आर्थिक सहायता देय होगी, जो भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण व रिनोवेशन में उपयोग नही की जा सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष के नगर निकायवार लक्ष्य आवंटित किये जा चुके है। इनके प्रस्ताव नगर निकाय द्वारा निदेशालय को भिजवाने है, जिनकी स्वीकृति निदेशालय से जारी की जायेगी। नगर निगम, जयपुर सहित 20 शहरो में शहरी आजीविका केन्द्र प्रारम्भ हो चुके है तथा अन्य शहरों में प्रारम्भ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

C. Employment through Skill Training and Placement (EST&P) :-

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिलाना तथा प्रशिक्षण उपरान्त रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसमें प्रशिक्षण हेतु कोर्स के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार प्रशिक्षण अवधि की दर प्रति घण्टा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार भुगतान किया जा रहा

है। प्रशिक्षण हेतु देय कुल राशि का 20 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी के गुणवत्तापूर्ण स्वरोजगार/प्लेसमेन्ट के उपरान्त भुगतान किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों में से न्यूनतम 70 प्रतिशत लाभार्थियों का प्लेसमेन्ट/स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित कराया जाना अनिवार्य है।

इस घटक के क्रियान्वयन हेतु विभाग के साथ अनुबन्धित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। योजना के प्रारम्भ से अब तक 50,740 युवाओं को प्रशिक्षित कर 21820 को रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायता की गई।

D. Self-Employment Programme (SEP) :-

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी गरीबों को व्यक्तिगत तथा समूह में बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, जिससे बी.पी.एल चयनित परिवार के सदस्यों द्वारा लाभकारी स्वरोजगार/उद्यम स्थापित किये जा सकें।

व्यक्तिगत व समूह में लाभार्थियों को निम्न सुविधाऐं/लाभ उपलब्ध कराये जा रहे है :–

I. **व्यक्तिगत/समूह उद्यम स्थापित करने हेतु ऋण व अनुदान**– इसके तहत् शहरी गरीब व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु अधिकतम परियोजना लागत राशि रू. 2.00 लाख (व्यक्तिगत)/10.00 लाख (समूह) के लिए बैंक ऋण दिया जायेगा तथा इस ऋण पर 07 प्रतिशत से अधिक ब्याज की राशि अनुदान के रूप में योजना से उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात लाभार्थी को ऋण 07 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर 2024 तक 1447 तथा योजना के प्रारम्भ से दिसम्बर, 2024 तक कुल 33400 व्यक्तियों को बैक के माध्यम से ऋण दिलाया जा चुका है।

II. **स्वयं सहायता समूहों को ब्याज अनुदान** (SHG-Bank Linkage) घटक के तहत् बैंको द्वारा SHG के बचत खाते खोलना और उसके बाद SHG के असैसमेंट/ग्रेडिंग के उपरान्त उसकी बचत के 04 गुना तक Savings Linked Loan उपलब्ध कराया जाता है। इस ऋण पर भी नियमानुसार ब्याज अनुदान देय होगा तथा महिलाओं के समूहों को इस ऋण पर 04 प्रतिशत ब्याज देय होगा। योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कुल दिसम्बर 2024 तक 465 तथा योजना के प्रारम्भ से दिसम्बर, 2024 तक 3769 स्वयं सहायता समूहो को क्रेडिट लिंकेज के तहत बैंको के माध्यम से अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया गया है।

III. **उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम** – शहरी गरीबों द्वारा उद्यम स्थापित करने हेतु दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ ही 03 से 07 दिन की उद्यम विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (EDP Training) दिया जाना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में उद्यम स्थापित/विकसित करने से संबंधित मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी, जिनमे उद्यम का प्रबंधन, बेसिक अकाउंटिंग, वित्तीय प्रबंधन, मार्केटिंग, बैकवार्ड व फोरवार्ड लिंकेजेज, कानूनी प्रक्रिया, लागत–आय, समूह गतिविधियां, कार्य का वितरण व लाभांश का बंटवारा आदि शामिल है यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंको द्वारा ऋण भुगतान से पूर्व RSETI के माध्यम से कराया जाता है।

IV. **टास्क फोर्स का गठनः–** नगरीय निकाय में व्यक्तिगत व ग्रुप में ऋण हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार करने/अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन, सम्बन्धित नगरीय निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है। जिले की नगरीय निकाय द्वारा समस्त ऋण आवेदन–पत्रों को टास्क फोर्स की बैठक में प्रस्तुत आवेदन–पत्रों का परीक्षण (Scrutiny) कर लाभार्थी का इन्टरव्यू लिया जाता है। इसके उपरान्त टास्क फोर्स द्वारा आवेदन–पत्र को स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु बैंको को भिजवा दिया जाता है, जिसका बैंक द्वारा 15 दिवस में निस्तारण करना आवश्यक होता है तथा ऐसे आवेदन–पत्रों को विशेष परिस्थितियों में ही अस्वीकृत किया जा सकता है।

- **ब्याज अनुदान की प्रक्रियाः–** सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी बैंक योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पात्र है। भारत सरकार द्वारा घोषित नोडल बैंक (इण्डियन बैंक) के द्वारा पैसा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ब्याज अनुदान की राशि प्रतिमाह सीधे ही लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की जा रही है।

E. Support to Urban Street Vendors (SUSV) :-

घटक के तहत स्ट्रीट वेण्डर्स का सर्वे एवं क्षमतावर्द्धन, माइक्रोएन्टरप्राईजेज के विकास में सहयोग, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना आदि कार्य सम्मिलित है। इसके तहत समयबद्व कार्यक्रम के अनुसार स्ट्रीट वेण्डर्स का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराना, उन्हें पंजीकृत करना, पहचान पत्र जारी करना आदि सम्मिलित है। राज्य की 199 निकायों में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। जिसमें से पूर्व में 190 नगर निकायों में Town Vending Committee (TVC) का गठन किया गया था, पूर्व में गठित कमेटियों के कार्यकाल समाप्त होने के कारण नियमानुसार पुनर्गठन की कार्यवाही की जाकर 152 नगरीय निकायों में टीवीसी का पूर्नगठन किया गया है। राज्य में कुल चिन्हित स्ट्रीट वेण्डर्स में से 90376 पथ विक्रेताओं को आईडी कार्ड तथा 55943 पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। योजनान्तर्गत राज्य की 13 नगर निकायों के सिटी स्ट्रीट वेण्डिग प्लान स्वीकृत कर 5 नगर निकायों को 6 वेण्डिग मार्केट के विकास हेतु राशि जारी की गई है।

F. Scheme of Shelter for Urban Homeless (SUH) :-

DAY-NULM के इस घटक के तहत शहरी बेघर व्यक्तियों को आश्रय स्थल तथा उससे सम्बंधित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। यह आश्रय स्थल 24 घण्टे सभी 07 दिवसों में संचालित किए जाते है। प्रति 01 लाख की आबादी पर स्थाई सामुदायिक आश्रय स्थल जो न्यूनतम 100 व्यक्तियों के लिए संचालित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट अर्थात 4.6 वर्गमीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। इस आश्रय स्थल पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाए

जैसे पानी, शौचालय, बिजली, रसोई आदि उपलब्ध कराई जानी आवश्यक है, साथ ही इन आश्रय स्थल में रहने वालों को विभिन्न राजकीय योजनाओ से लाभान्वित करवाये जाने का प्रावधान है। आश्रय स्थल के निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप राशि परियोजना के आश्रय स्थल घटक के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इन आश्रय स्थलों का संचालन योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से 05 वर्ष तक किया जायेगा। 50 व्यक्तियों के आश्रय स्थल हेतु प्रतिवर्ष राशि रू. 06 लाख उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके तहत अब तक नगर निकायों में 236 आश्रय स्थलों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश दिये जा रहे है।

नोट : DAY-NULM योजना की अवधि सितम्बर, 2024 को समाप्त हो गई है। केन्द्र सरकार द्वारा योजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किया जाना है।

(6) प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि योजना)

कोविड–19 महामारी से प्रभावित पथ विक्रेताओं के व्यवसाय को पुनः प्रारम्भ करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी के रूप में विशेष अल्पावधि ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANIDHI) योजना प्रारम्भ की गई।

योजना की मुख्य विशेषताएं :–

- पथ विक्रेता 1 वर्ष की अवधि के लिए राशि रूपये 10000/– तक के सम्पाश्रविक–मुक्त (Collateral-free) कार्यशील पूंजी ऋण को प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ऋण का पुर्नभुगतान नियत समय में करने पर 07% वार्षिक सब्सिडी DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी।

- पथ विक्रेताओं द्वारा समय पर ऋण की अदायगी करने पर ऋण की सीमा बढ़ाये जाने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत ऋण देने वाले संस्थानों अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आर.आर.बी, एन.एफ.बी.एस, सहकारी बैंक, एन.बी.एफ.सी एवं एस.एच.जी शामिल है। इस योजना में पथ विक्रेताओं द्वारा डिजीटल लेन–देन करने पर प्रोत्साहन के रूप में मासिक कैशबैक दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत अब तक प्रथम ऋण राशि 10000/– हेतु कुल 2,61,385 पात्र आवेदनों में से 2,01,971 को ऋण स्वीकृत कर 1,86,553 को ऋण वितरण किया गया है। द्वितीय ऋण राशि 20000/– हेतु 75335 पात्र आवेदनों में से 55,363 के ऋण स्वीकृत कर 47601 को ऋण वितरण किया गया तथा तृतीय ऋण राशि 50,000/– हेतु 10,723 पात्र आवेदनों में से 7041 ऋण स्वीकृत कर 4996 को ऋण वितरण किया गया।

  प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि दिसम्बर, 2024 तक थी। केन्द्र सरकार द्वारा योजना का द्वितीय चरण प्रारम्भ किया जाना है।

(7) मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना

माननीय मुख्यमत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 की बजट घोषणा में पथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रो एवं कस्बो में जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारो के उत्थान के उद्देश्य से दिनांक 15.12.2024 को **''मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना''** का शुभारम्भ किया गया है।

इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले **अन्य जरूरतमन्द एवं असहाय परिवारो से सम्बद्ध असंगठित क्षेत्र के श्रमिक** जैसे गिगवर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर, भवन निर्माण, हॉकर्स, वेस्ट वर्कर, रेग पिकर, दस्तकार आदि को तीन चरणों में क्रमशः 10000, 20000 एंव 50000 रूपये का ऋण दिया जावेगा, जिसकी पुर्नभुगतान अवधि क्रमशः 12 माह, 18 माह, एवं 36 माह होगी।

आवेदन प्रक्रिया

- **ऑनलाइन आवेदन**–लाभार्थी अपने जनाधार के माध्यम से एसएसओ पोर्टल/एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता हैं।
- **आवश्यक दस्तावेज**–आवेदन पत्र के साथ जनाधार/आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा व्यवसाय का अनुज्ञा प्रमाण–पत्र आदि संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- **आवेदन की जांच**–ऑनलाइन आवेदन की जांच के पश्चात, पात्र आवेदनो को नगरीय निकाय द्वारा सम्बन्धित बैंक को ऑनलाइन ही अग्रेषित किया जावेगा।
- **ऋण स्वीकृति**– सम्बन्धित बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निकाय द्वारा अग्रेषित दस्तावेज़ों की जाँच उपरान्त नियत अवधि में ऋण स्वीकृत एवं वितरण किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जावेगा।

(8) शहरी जनसहभागी योजना

शहरी विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं जन सहयोग प्राप्त कर शहरों में विकास कार्य करवाये जाने के उद्देश्य से शहरी जन सहभागी योजना, राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 2004 में आरम्भ की गई। वर्ष 2004–05 में संभाग मुख्यालय की 06 नगर निकायों में इस योजना को प्रारम्भ किया गया व वर्ष 2005–06 में राज्य की समस्त नगरीय निकायों में इसका क्रियान्वयन आरम्भ किया गया। इस योजना के दो प्रमुख भाग निम्न हैः–

1. **जन चेतना** :– इसके तहत गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थायें एवं राजकीय विभागों द्वारा आपसी सहयोग एवं समन्वय से शहरी क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन किया जाकर शहरों के सौन्दर्यकरण, सफाई व्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार एवं टीकाकरण के बारे में जन–समुदाय में जन चेतना जागृत की जाकर उनकी सहभागिता प्राप्त की जाती है।

2. **विकास कार्य** :–योजना के इस भाग में राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढॉचा सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न विकास कार्य यथा राजकीय विद्यालय/महाविद्यालय/चिकित्सालय/पशु चिकित्सालय/कार्यालय के लिए भवन व सुविधाओ हेतु समस्त स्थाई निर्माण, छात्रों हेतु शैक्षिक/सहशैक्षिक व खेल–कूद सामग्री, चिकित्सालयों हेतु आवश्यक उपकरणों का क्रय, पानी की निकासी हेतु नाली एवं पुलिया निर्माण, हैण्डपम्प व अन्य पेयजल व्यवस्था तथा जल संग्रहण से जुड़े कार्य, समस्त प्रकार की सार्वजनिक सुविधाओं हेतु सार्वजनिक सम्पत्तियों का निर्माण, नगर पालिका सीमा में सड़क, उद्यानों, चौराहों इत्यादि का सौन्दर्यकरण कार्य कराये जाते है। अन्य किसी योजना में अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण करवाने (मरम्मत, रंगाई, पुताई नहीं) हेतु शेष कार्य का सक्षम अभियंता स्तर से विस्तृत तकमीना बनाया जाकर कार्य कराया जा सकता है।

वित्तीय व्यवस्था एवं प्रगति – योजनान्तर्गत कार्य की कुल लागत का 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में, 30 प्रतिशत जनसहयोग एवं 20 प्रतिशत राशि सम्बन्धित नगर निकाय, यू.आई.टी या पेरास्टेटल विभाग का अंशदान होता है, किन्तु इसमें एम.पी. या एम.एल.ए. फण्ड की राशि शामिल नहीं की जा सकती है। श्मशान घाट व कब्रिस्तान की बाउण्ड्रीवाल निर्माण में 10 प्रतिशत राशि जन सहयोग से तथा शेष 90 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2022–2023 में राशि रूपये 300.00 लाख का प्रावधान राज्यांश हेतु किया गया था।

(9) राजस्थान अरबन ड्रिंकिग वाटर सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रेक्चर कॉरपोरेशन लि0 (RUDSICO)

शहरी निकायों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजना बनाने व वित्तीय साधन जुटाने के उद्देश्य से राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रेक्चर फाईनेंस डवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन 2004 में किया गया।

RUDSICO द्वारा वर्तमान में आर.ए.वाई. आरओबी, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर रेन्यूवल प्रोजेक्ट फेज–1 (Rajasthan Urban Infrastructure Renewal Project (Phase-1) तथा अन्य योजनाओं के राज्य स्तर पर नोडल एजेन्सी के रूप मे कार्य किया जा रहा हैं।

बजट :–

राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड, जयपुर (रूडसिको) का वित्तीय वर्ष 2023–24 का वास्तविक व्यय एवं बजट प्रावधान वर्ष 2024–25 निम्नानुसार है:

(राशि लाख रु. में)

क्रं. स.	बजट मद /उप मद	वास्तविक व्यय 2023–24	बजट प्रावधान 2024–25
	आयोजना/सीएसएस		
1	शहरी पुनरूद्धार हेतु विशेष अनुदान (आरओबी)	351.00	2000.00
2	यूआईडीएसएसएमटी	0.00	0.00
3	आर.यू.डी.एफ	0.00	0.00
4	जल एवं सीवरेज परियोजना	0.00	0.0
5	राजीव आवास योजना (प्लान)	0.00	0.00
6	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 1.0)	854.18	5326.00
7	अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0)	33162.65	398767.*09*
8	स्मार्ट सिटी (जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर)	9800.00	13900.03
9	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	31537.75	90000.39
10	रूडसिको मे निवेश	0.00	0.03
	योग	75705.58	**509993.54**

(10). शहरी क्षेत्र में विभाग आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण

- वर्तमान में कुल 9 आर.ओ.बी./आर.यू.बी का कार्य लागत 299.04 करोड़ (राज्यांश 169.06 करोड़ एवं रेलवे अंशदान 299.04 करोड़) प्रगतिरत है। पिछले 10 वर्षो में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में कुल 56 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का कार्य स्वीकृत किये गये। नवम्बर 2024 तक 47 आर.ओ.बी./आर.यू.बी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(11) लघु एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढ़ांचा विकास योजना (UIDSSMT):-

11 शहरों की सीवरेज परियोजना का क्रियान्वयन UIDSSMT के ट्रांजिशन फेज के तहत किया जाना है। इसके अन्तर्गत MOUD ने RUIDP की SOR 2011 के आधार पर स्वीकृत की थीं। इनकी कार्यकारी एजेन्सी सम्बन्धित निकाय व PHED है। योजना के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा स्वयं

के अंशदान की प्रथम एवं द्वितीय (अन्तिम) किश्त जारी कर दी गई है। प्रारम्भ में ट्रांजिशन फेज की योजनाओं हेतु वित्तीय अंशदान राशि निम्न प्रकार से निर्धारित की गई थीः–

1. केन्द्र सरकार 80%
2. राज्य सरकार 10%
3. स्थानीय निकाय 10%

तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा आदेश क्रमांक K-140207/4/NURM-2015 Dated 14-08-2015 अनुसार ट्रांजिशन फेज की योजनाओं हेतु वित्तीय अंशदान का पुनः निर्धारण कर केन्द्र सरकार का अंश 80% के स्थान पर 60% का प्रावधान रखा है। राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा 20% की क्षतिपूर्ति हेतु अमृत योजना के अनुसार पुनः निर्धारित अंश परिवर्तन की सिद्धान्ततः स्वीकृति दी गई जो निम्न प्रकार हैः–

1. केन्द्र सरकार 60%
2. राज्य सरकार 20%
3. स्थानीय निकाय 20%

उक्त परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, RUIDP SOR 2013 की दरों पर आधारित तकनीकों व 10 वर्ष की O&M को सम्मिलित करते हुए जारी की गई जो निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	स्थानीय निकायो के नाम	कुल जनसंख्या (2011)	लाभान्वित जनसंख्या का प्रतिशत	स्वीकृत राशि (राशि लाखों में)
1.	चिड़ावा	44999	61%	8222.00
2.	नवलगढ़	67798	76%	10514.00
3.	भादरा	42016	82%	11346.00
4.	सूरतगढ़	74496	49%	10060.00
5.	लक्ष्मणगढ़	47706	100%	9010.00
6.	जैतारण	22621	100%	4896.00
7.	रामगढ़ शेखावाटी	22943	100%	5763.00
8.	निम्बाहेड़ा	61949	100%	9668.00
9.	बड़ी सादड़ी	15723	100%	3361.00
10.	फतेहपुर सनवाड़	22812	37%	4600.00
11.	कुशलगढ़	10666	100%	5087.00
12.	केकड़ी	41890	75%	941.00

केन्द्र सरकार द्वारा शहरी गरीबों को छोटे एवं मध्यम कस्बों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना जे.एन.एन.यू.आर.एम. मे चयनित शहरों/कस्बों को छोड़कर सभी शहरों/कस्बों पर लागू की गई है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के ऑफिस मेमोरण्डम द्वारा अमृत योजना के अनुसार 11 परियोजनाओं मे हिस्सा राशि 60:20:20 (केन्द्रःराज्यःयूएलबी) संशोधित कर दी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में राजस्थान अरबन पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम (आर.यू.डी.एस.आई.सी.ओ.) को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 646.24 करोड़ की 12 परियोजनाएं 12 शहरों, 11 सीवरेज परियोजनाएं चिडावां, नवलगढ, सूरतगढ, भादरा, लक्ष्मणगढ, जैतारण, रामगढ शेखावाटी, निम्बाहेडा, बडीसादडी, फतेहनगर सरवाड, कुशलगढ, एवं पानी सप्लाई परियोजना केकडी में स्वीकृत हुई है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 586.43 करोड़ का व्यय हो चुका है।

(12) राजस्थान शहरी विकास निधि–द्वितीय (आर.यू.डी.एफ. II)

राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक 8699 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा तथा वित्त विभाग की अनुमति से राजस्थान शहरी विकास निधि के आदेश क्रमांक 5762 दिनांक 26.03.2010 को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक 8452 दिनांक 25.08.2021 द्वारा राजस्थान शहरी विकास कोष द्वितीय का गठन किया गया है।

राजस्थान शहरी विकास निधि-II के गठन हेतु वित्तिय संस्थाओं, हुडको/बैंको से ऋण, तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विशेष/अतिरिक्त अनुदान एवं नगरीय निकायों/ नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक अंशदान उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

(13) अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत):–

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा माह जून, 2015 में अमृत योजना आरम्भ की गई। अमृत योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कुल 29 शहरों यथा–जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चूरू, बारां, चित्तौड़गढ़, नागौर, बून्दी, श्रीगंगानगर, टोंक, झुन्झुनूं, भिवाड़ी, ब्यावर, गंगापुरसिटी, हिण्डौनसिटी, सुजानगढ़, किशनगढ़ व झालावाड़ को चयनित किया गया है। जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, नालियां एवं हरित स्थलों का कार्य मिशन अन्तर्गत है। मिशन अवधि मार्च 2024 तक थी।

- **फण्डिंग पैटर्न**

  अमृत योजनान्तर्गत 10.00 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिये वित्तीय व्यवस्था केन्द्र–33.33 प्रतिशत, राज्य–33.33 प्रतिशत व नगरीय निकाय–33.33 प्रतिशत तथा 10.00 लाख

से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये वित्तीय व्यवस्था केन्द्र–50 प्रतिशत, राज्य–30 प्रतिशत व नगरीय निकाय–20 प्रतिशत निर्धारित है।

- **रिफॉर्म्स**

  मिशन के अन्तर्गत रिफॉर्म्स के सफल क्रियान्वन के फलस्वरूप राज्य को 2015–16 में रू. 20.80 करोड़ एवं 2017–18 में राशि रू. 37.94 करोड़, वर्ष 2018–19 में राशि रू. 14.29 करोड एवं वर्ष 2019–20 राशि रू 16.12 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है।

- **कार्य निष्पादन**

  परियोजना का निष्पादन नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/जनस्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग इत्यादि द्वारा किया जा रहा है।

- **बजट प्रावधान**

  राजस्थान के लिए योजना अवधि में भारत सरकार द्वारा राशि रू. 3223.94 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है, जिसके विपरीत भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	राज्य स्तरीय वार्षिक कार्य योजना की अनुमोदित राशि	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दिनांक	केन्द्र सरकार का प्राप्त अंशदान			राज्य सरकार से प्राप्त अशंदान		
				प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त
1.	2015–16	919.00	21.10.2015				55.14		
2.	2016–17	1072.80	26.05.2016	308.39	563.04	643.65	63.13	337.82	351.92
3	**2017–20**	1232.14	18.11.2016				66.76		
	कुल	**3223.94**		**308.39**	**563.04**	**643.65**	**185.03**	**337.82**	**351.92**

प्रशासनिक एवं अन्य व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 मे राशि रू. 7.00 करोड़, वर्ष 2016–17 में राशि रू. 7.15 करोड़, वर्ष 2017–18 में राशि रू. 9.20 करोड, वर्ष 2018–19 में राशि रू 21.47 करोड एवं वर्ष 2020–21 में राशि रू 12.83 करोड प्राप्त हुए है। प्राप्त कुल राशि रू. 57.65 करोड़ में से राशि रू. लगभग 42 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवाया जा चुका है।

भारत सरकार से रूपये 3223.94 करोड़ की परियोजना स्वीकृत। उक्त हेतु अब तक रूपये 1515.08 करोड केन्द्रांश तथा रूपये 874.75 करोड राज्यांश प्राप्त हो चुका है तथा राशि रु. 91.69

करोड़ राज्यांश के पेटे हुडको से लोन स्वीकृत कर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये गए। स्थानीय निकाय हिस्सा राशि पेटे रू. 98.06 करोड़ निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर से अनुदान के रूप में जारी किये तथा राशि रु. 369 करोड़ हुडको से लोन स्वीकृत कर नगरीय निकाय हिस्सा राशि के पेटे स्थानीय नगरीय निकायों को जारी किये गए हैं। शेष राशि निकायो द्वारा स्वयं वहन की जा रही है। इन परियोजनाओ की वर्तमान लागत रूपये 3206.43 करोड़ है।

स्वीकृत कार्यों का सेक्टर वार विवरण–

सेक्टर	स्वीकृत कार्य एवं राशि	कार्यादेश एवं राशि	कार्यकारी एजेन्सी	भौतिक प्रगति
सीवरेज	22 शहरों में 29 कार्य राशि रू. 2158 करोड (2436 किमी सीवर लाईन, 35 एसटीपी व 2.52 लाख घरेलू सीवर कनेक्शन)	• 29 कार्यादेश जारी– राशि रू. 2169 करोड • व्यय राशि रू. 2086 करोड	अलवर – यू.आई.टी अलवर, कोटा फेज़ I – आरयूआईडीपी, कोटा फेज़ II **व** III यूआइटी कोटा उदयपुर फेज द्वितीय– स्मार्ट सिटी शेष –सम्बंधित नगर निगम/परिषद	97 प्रतिशत
जलापूर्ति	23 शहरों में 24 कार्य राशि रू. 934 करोड (3237 किमी लाईन, 28 CWR, 85 ESR व GLSR व 4.50 लाख पेयजल कनेक्शन)	• 24 कार्यादेश जारी– राशि रू. 938 करोड • व्यय राशि रू. 908 करोड	उदयपुर – स्मार्ट सिटी, कोटा फेज द्वितीय, यूआईटी कोटा शेष –जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	97 प्रतिशत
ड्रेनेज	05 शहरों में 06 कार्य राशि रू. 61 करोड (27.24 किमी नाला निर्माण)	• 06 कार्यादश जारी– राशि रू. 65 करोड • व्यय राशि रू. 55 करोड	सम्बंधित नगर निगम/परिषद	100 प्रतिशत
ग्रीन स्पेस	29 शहरों में 32 कार्य (102 पार्क) राशि रू. 53 करोड	• 32 कार्यादश जारी– राशि रू. 53 करोड • व्यय राशि रू. 51 करोड	भिवाडी– बीड़ा भिवाडी अलवर – यू.आई.टी अलवर जोधपुर – जोडा जोधपुर शेष –सम्बंधित नगर निगम/परिषद	99 प्रतिशत
कुल	29 शहरों में 91 कार्य राशि रू. 3206 करोड	• 91 कार्यादश जारी – राशि रू. 3206.43 करोड • संपादित कार्यों की कुल लागत – राशि रु. 3100 करोड • कुल वित्तीय प्रगति : 97 प्रतिशत		98 प्रतिशत

अमृत 2.0 मिशन – परिचय

- अमृत योजना का शुभारम्भ : अक्टूबर 2021
- मिशन की अवधि (मार्च 2026 तक)

- जलापूर्ति व जल निकायों का कायाकल्प/जीर्णोद्धार मय ग्रीन स्पेस कार्य सभी स्थानीय निकायों में।
- सीवरेज/सेप्टेज : 29 अमृत शहरों के 32 शहरी स्थानीय निकाय।

वित्तीय भागीदारी :

- जलापूर्ति – 50% केन्द्र सरकार, 45% राज्य सरकार एवं 05% स्थानीय निकाय (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर), 33.33% केन्द्र सरकार, 60% राज्य सरकार एवं 6.67% स्थानीय निकाय (एक से दस लाख जनसंख्या वाले शहर) एवं 25% केन्द्र सरकार, 67.50% राज्य सरकार एवं 7.50% स्थानीय निकाय (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)
- सीवरेज/जल निकायों का कायाकल्प/जीर्णोद्धार मय ग्रीन स्पेस – 50% केन्द्र सरकार, 45% राज्य सरकार एवं 05% स्थानीय निकाय (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर), 33.33% केन्द्र सरकार, 46.67% राज्य सरकार एवं 20% स्थानीय निकाय (एक से दस लाख जनसंख्या वाले शहर) एवं 25% केन्द्र सरकार, 45% राज्य सरकार एवं 30% स्थानीय निकाय (दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर)।

अमृत 2.0 योजनान्तर्गत सीवरेज, Rejuvenation of Water Bodies एवं जलापूर्ति के कार्य करवाए जाने है जिसके अन्तर्गत केन्द्रांश राशि रू. 3552 करोड़ है 29 अमृत शहरों मे 31 स्थानीय निकायों मे सीवरेज कार्य की कुल 5341.57 करोड़ राशि की 38 परियोजनाएँ स्वीकृत की गयी है। 38 सीवरेज कार्य हेतु रूडसिको स्तर पर निविदा आमंत्रित कर 37 कार्यों के कार्यादेश स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किये जा चुके है। इन कार्यों के अंतर्गत 4.87 लाख हाउस सीवर कनैक्शन कर लगभग 24.35 लाख लोगों को लाभान्वित किया जावेगा। आदिनांक तक राशि रु. 611.49 करोड़ का कार्य किया गया है। कार्य प्रगतिरत है।

100 जल निकाय के जीर्णोद्धार एवं पार्कों के विकास कार्य राशि रू. 359.09 करोड़ की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई है। 51 कार्यों के कार्यादेश स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किये जा चुके है। 17 कार्य पूर्ण किये जा चुके है। 49 निविदा प्रक्रियाधीन है। आदिनांक तक राशि रु. 69.64 करोड़ का कार्य किया गया है।

183 स्थानीय निकायों में जलापूर्ति के राशि रु. 5123.06 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गए है। जलापूर्ति कार्यों की कार्यकारी एजेंसी जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) है। इनमें से 170 डीपीआर राशि रु. 3149.79 करोड को एसएलटीसी द्वारा तकनीकी रूप से मंजूरी दे दी गई है जिनकी निविदा प्रक्रिया एवं शेष 13 डीपीआर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

- केन्द्र द्वारा राशि रू. 695.45 करोड़ केन्द्रांश के पेटे सीवरेज एवं Water Body Rejuvenation कार्य हेतु जारी किये गये।

(14) **राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)**

योजनान्तर्गत भारत सरकार से 16 शहरों के लिए 903.15 करोड़ रूपये की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें कुल 16,132 आवासों का निर्माण करने के साथ–साथ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वीकृत 16,132 आवासों में से अप्रारम्भ 7416 आवासों की भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.06.2024 को आयोजित सीएसएमसी बैठक में कटौती उपरान्त संशोधित 8716 आवासों में से 7,065 आवासों पूर्ण किये जा चुके है तथा शेष आवास निर्माणाधीन हैं। योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा ''सबके लिये आवास'' (एच.एफ.ए.) में तिथि 25.06.2015 से सम्मिलित किया है।

(15) **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)**

आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (सालाना आय 3.00 लाख तक) व अल्प आय वर्ग (3.00 लाख से 6.00 लाख तक) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाने हेतु दिनांक 31.12.2024 तक **''अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनर्शिप (AHP)''**घटक में 27396 आवास (संशोधित) तथा **''व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं अभिवृद्धि (BLC)''**घटक के तहत 112792 आवास (संशोधित) कुल 140188 आवास केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में स्वीकृत किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त 148362 आवास निजी विकासकर्ता की निजी भूमि पर संबंधित विकास प्राधिकरण/विकास न्यास/नगर निकाय/आवासन मण्डल द्वारा **ऋण में अनुदान घटक(CLSS)** के तहत स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार राज्य में कुल 288550 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत राज्य में स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत आवासों में से 73603 आवास निर्माणाधीन है तथा 196700 आवास पूर्ण किये जा चुके है। योजना की संशोधित अवधि 31.12.2024 तक थी, जिसे केन्द्र सरकार के आदेश दिनांक 20.12.2024 द्वारा आगामी दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ाया गया है।

(16) **स्मार्ट सिटी मिशन**

- योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे शहरों का नव–निर्माण करना जहाँ नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए स्मार्ट समाधान के माध्यम से मुख्य अवसंरचना, स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण उपलब्ध हो सके।
  - ➢ स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना में जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास, ई–गवर्नेंस, नागरिकों की शिक्षा, जन आवश्यकता के कार्य, चिकित्सा सुविधाओं एवं खेलकूद सुविधाओं के विस्तार तथा शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य सम्मिलित हैं।
  - ➢ संसाधनो के बेहतर उपयोग द्वारा न्यूनतम व्यय कर अधिकतम लाभ अर्जित करना।

- ➢ स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र आधारित विकास (ए.बी.डी. एरिया) व पेन सिटी प्रयास जिसमें शहर के बडे भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (Smart Solution) सम्मिलित है।

- केन्द्रांश 100 करोड रू प्रति वर्ष प्रति शहर पांच वर्ष तक प्राप्त होगे

भारत सरकार	राज्य सरकार	नगरीय निकाय	यूआईटी/विकास प्राधिकरण
50%	30%	10%	10%

- ➢ स्मार्ट सिटी मिशन में स्मार्ट सिटी द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त शहर में अन्य विभागों/एजेन्सियों द्वारा किये गये कार्यों को अभीसरण (Convergence) मे सम्मिलित किया गया है।

- योजना में राजस्थान के 4 शहर जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा सम्मिलित। जयपुर व उदयपुर का चयन 28 जनवरी 2016 तथा कोटा व अजमेर का चयन 16 सितंबर 2016 में किया गया।

- समस्त कार्य मिशन अवधि मे पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। वर्तमान मे कार्य की स्थितिः–

वित्तीय स्थिति

(राशि करोडो में)

शहर	निर्धारित फंडिंग					प्राप्त/जारी राशि					व्यय
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	संबधित स्थानीय निकाय	संबधित नगर विकास न्यास/ विकास प्राधिकरण	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	संबधित स्थानीय निकाय	संबधित नगर विकास न्यास/ विकास प्राधिकरण	कुल प्राप्त	
उदयपुर	500	300	100	100	1000	490	300	100.00	100.00	990.00	957.29
जयपुर	500	300	100	100	1000	490	270	80.00	100.00	940.00	901.43
कोटा	500	300	100	100	1000	490	270	90.00	100.00	940.00	931.00
अजमेर	500	300	100	100	1000	490	270	90.00	90.00	950.00	938.75
कुल	2000	1200	400	400	4000	1960	1110	360.00	390.00	3820.00	3728.47

योजनान्तर्गत 444 परियोजनाओ मे से 418 परियोजनाएं पूर्ण एवं 26 परियोजनाएं प्रगतिरत है।

शहर	कुल परियोजनाओं की संख्या	कुल राशि (करोड़ो में)	पूर्ण परियोजनाए		चालू परियोजनाएं	
			संख्या	राशि (करोड़ो में)	संख्या	राशि (करोड़ो में)
उदयपुर	112	940	111	905	1	35
जयपुर	150	1006	142	894	8	112
कोटा	70	1113	65	1030	5	83
अजमेर	112	1003	100	461	12	542
योग	**444**	**4062**	**418**	**3290**	**26**	**772**

(17) राज. ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डवलपमेन्ट फण्ड (RTIDF) :–

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2024–25 में राशि रूपये 127822.05 लाख का बजट प्रावधान है। इस प्रकार राशि रूपये 127822.05 लाख के विरूद्ध अभी तक राशि रूपये 30842.94 लाख की स्वीकृति RSRTC, JCTSL, PWD, JBSL, Transport Dept. & Jaipur Metro, RUDSICO आदि को 31.12.2024 तक जारी की जा चुकी है। स्वीकृति हेतु अन्य प्रस्ताव वित्त विभाग में विचाराधीन है।

(18) श्री अन्नपूर्णा रसोई योजनाः–

- वर्तमान में शहरी निकायों में श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना संचालित है। योजना का प्रमुख उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर सम्मानपूर्वक बैठाकर स्थानीय स्वादानुसार दो समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाना है।
- वर्तमान में शहरी निकायों में 1000 श्री अन्नपूर्णा रसोईयां संचालित है।
- श्री अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना) द्वारा, नगर निकायों के सामुदायिक भवन, रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड, अस्पताल, मण्डी, चौकडी आदि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर नगर निकायों के आश्रय स्थलों, अम्बेडकर भवनों, सामुदायिक भवनों में की गई है।
- योजनान्तर्गत 240 नगर निकायों में 1000 स्थायी श्री अन्नपूर्णा रसोईयों का संचालन जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा 550 से अधिक चयनित सेवाभावी संस्थाओं/एनजीओ द्वारा किया जा रहा है। योजना पर प्रतिवर्ष 250 करोड़ रूपये व्यय करने का बजट प्रावधान हैं।
- योजनान्तर्गत जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना) की पूर्वानुमति से एक्सटेन्शन काउन्टर बनाकर भी भोजन वितरण किए जाने का प्रावधान है।

रसोईयों का निर्धारण– योजनान्तर्गत 240 नगर निकायों में 1000 श्री अन्नपूर्णा रसोईयों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हैः–

क्षेत्र	निकायों की संख्या	कुल रसोईयों की संख्या
नगर निगम	13	290
नगरपरिषद्	49	327
नगरपालिका	178	383
योग	**240**	**1000**

योजनान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में प्रति रसोई 200 थाली लंच एवं 200 थाली रात्रिभोज तथा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र में प्रति रसोई 100 थाली लंच एवं 100 थाली रात्रिभोज दिए जाने का प्रावधान है।

भोजन मैन्यू – श्री अन्नपूर्णा रसोई योजनान्तर्गत भोजन में चपाती, दाल, सब्जी, चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) खिचड़ी एवं अचार सम्मिलित किया गया है तथा जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार मैन्यू में स्थानीय स्वादानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। भोजन में प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम चावल/मिलेट्स (श्री अन्न) खिचड़ी, 300 ग्राम चपाती एवं अचार दिए जाने का प्रावधान है।

लाभार्थी अंशदान एवं अनुदान राशि – योजनान्तर्गत भोजन हेतु लाभार्थी से 8 रुपये प्रति थाली लिए जाने का प्रावधान है। रसोई संचालक को भोजन वितरण पर राज्य सरकार द्वारा 22 रुपये प्रति थाली अनुदान के रूप में देय है।

भोजन का समय – योजनान्तर्गत दोपहर का भोजन प्रातः 8:30 से दोपहर 3:00 एवं रात्रिकालीन भोजन सायं 5:00 बजे से 9.00 बजे तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है किन्तु जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति (श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना) द्वारा अपने स्तर पर अथवा सर्दी एवं गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

आई.टी.आधारित मॉनिटरिंग :–

- योजनान्तर्गत श्री अन्नपूर्णा रसोईयों की आई.टी. आधारित मॉनिटरिंग हेतु श्री अन्नपूर्णा रसोई वेबपोर्टल, वेबसाईट एवं मोबाईल एप विकसित किये गये है तथा प्रारम्भ से अन्त तक पेपर लैस प्रक्रिया अपनाई गई है।
- प्रत्येक श्री अन्नपूर्णा रसोई में डेस्कटॉप/कम्प्यूटर की व्यवस्था जिससे लाभार्थियों की रियलटाईम ऑनलाईन इन्द्राज होती है। श्री अन्नपूर्णा रसोई के आगमन पर लाभार्थी का ऑनलाईन पोर्टल पर नाम, पिता का नाम, मोबाईल नम्बर पर संकलन कर अंकित किया जाता है।
- आधार प्रमाणिकरण प्रक्रिया से ऑनलाईन इनवॉईस जनरेशन एवं ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था।

भोजन की गुणवत्ताः– समय–समय पर योजनान्तर्गत रसोईयों द्वारा तैयार भोजन की गुणवत्ता एवं हाईजीन की नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों, जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जाँच किए जाने का प्रावधान है।

भोजन प्रायोजित करने की सुविधा :– योजनान्तर्गत कोई भी व्यक्ति/दानदाता द्वारा अपने परिजनों की वर्षगांठ जन्मदिन या अन्य किसी उपलक्ष्य में दोपहर/रात्रि अथवा दोनों समय का भोजन प्रायोजित कर सकते हैं। भोजन की लागत मूल्य का भुगतान प्रायोजक सम्बन्धित रसोई में जमा

करवाकर निशुल्क भोजन करा सकता है। इस हेतु प्रायोजक को ऑनलाईन पोर्टल से जमा राशि की रसीद प्राप्त होती है एवं कूपन पर प्रायोजक का नाम अंकित होता है। अब तक 41,536 भोजन प्रायोजन।

रसोई संचालकों को प्रोत्साहन हेतु नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र :– योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष श्रेष्ठ कार्य करने वाले रसोई संचालकों को जिला/सम्भाग/राज्य स्तर पर 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को पुरस्कार एवं प्रशिस्त पत्र दिये जाकर सम्मानित किये जाने का प्रावधान।

योजना की उपलब्धि :–

- योजनान्तर्गत दिनांक 31.12.2024 तक 23,03,49,784 भोजन थालियाँ परोसी जा चुकी है।

(5) अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम/गतिविधियां

1. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) :–

शहरी प्रोफाइल

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में शामिल नगरीय निकायों की संख्या – 240 (नगर निगम–13, नगर परिषद–51, नगर पालिका– 176)
- कुल वर्तमान शहरी आबादी – 2.20 करोड़ (अनुमानित)
- कुल वार्ड की संख्या – 8575

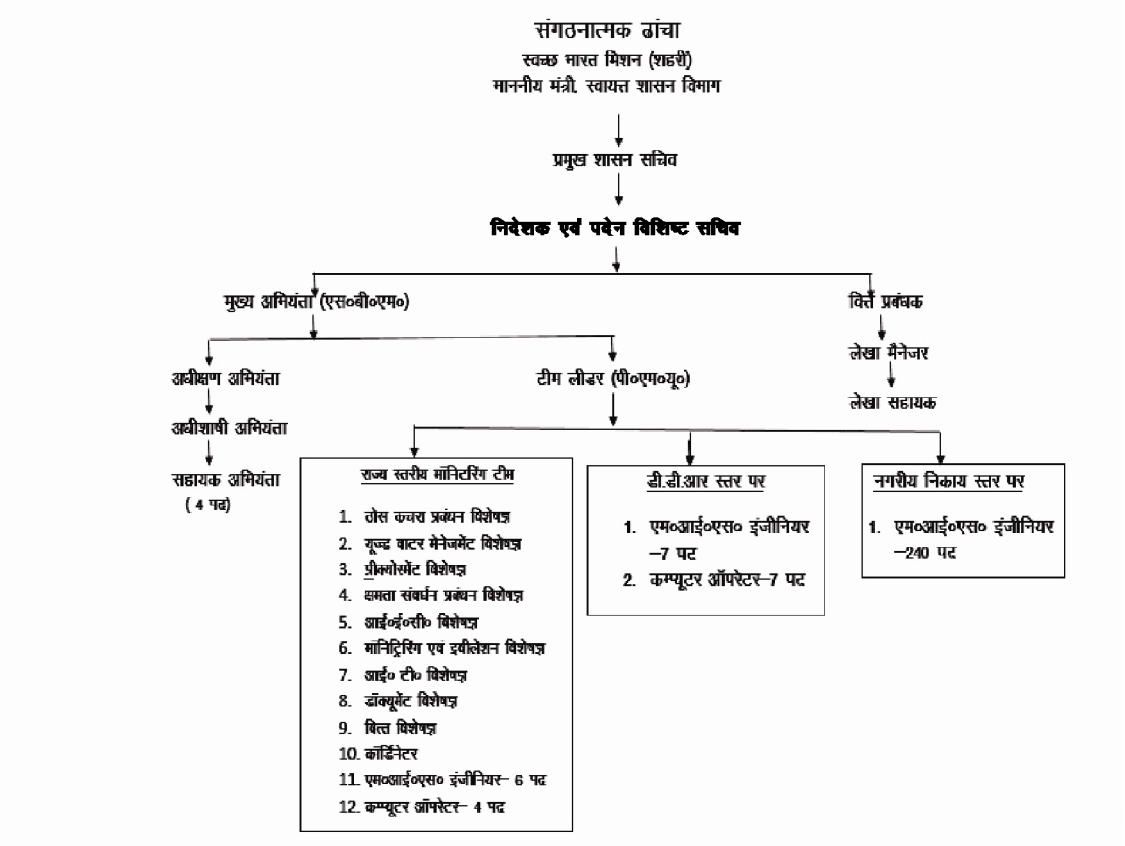

2. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 1.0

- अवधि 02 अक्टूबर 2014 से 1 सितम्बर 2021 तक था।
- कुल व्यय राशि रू. 925.93 करोड
- इसके अन्तर्गत 3.68 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया।
- इसके अन्तर्गत सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय 22547(2793 ब्लॉक) का निर्माण किया गया।

3. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0

- अवधि 02 अक्टूबर 2021 से मार्च 2026 तक है।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के घटकः–

3.1. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट

3.2. यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट

3.3. सेनिटेशन

3.4. आई.ई.सी.

3.5. क्षमता संवर्धन

- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अन्तर्गत फण्डिंग पैटर्नः–

(अ) सैनिटेशन/सॉलिड वेस्ट मे मैनेजमेन्ट/यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट

नगरीय निकाय श्रेणी	केन्द्रांश	राज्यांश	नगरीय निकाय/15वें वित्त आयोग
जनसंख्या >10 लाख	25%	16%	59%
जनसंख्या 1 to 10 लाख	33%	22%	45%
जनसंख्या < 1 लाख	50%	33%	17%

(ब) आई.ई.सी. एवं क्षमता संवर्धन

नगरीय निकाय	केन्द्रांश	राज्यांश	नगरीय निकाय/15वें वित्त आयोग
समस्त नगरीय निकाय	60%	40%	–

- योजना की कुल अनुमानित लागत राशि रू. 3737.21 करोड़
- केन्द्रीय अनुदान राशि रू 1765.80 करोड का प्रावधान
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि रू. 228.411 करोड
- कुल व्यय राशि रू. 207.98 करोड़

3.1 ठोस अपशिष्ट प्रंबधन

- राज्य की समस्त निकायों के सभी वार्डों में लगभग 5063 वाहनों द्वारा घर–घर से कचरा संग्रहण किया जा रहा है।

(अ) प्रोसेसिंग प्लांट

- 21 प्लांट (1618 टी.पी.डी) प्रोसेसिंग प्लांट कार्यरत है।

- 107प्लांट (4452 टी.पी.डी) निर्माणाधीन
- 49 प्लांट (1078.24) कार्यादेश जारी
- 33 प्लांट (508.49 टी.पी.डी) निविदा आमंत्रित

(ब) मेटेरियल रिक्वरी फेसिलिटी (MRF) प्लान्ट के द्वारा पृथ्थकरण

- कुल एमआरएफ प्लान्ट्स– 170
- ओपरेशनल – 152
- प्रगतिरत – 18

(स) लेगेसी वेस्ट का निस्तारण

- राज्य की कुल 176 डम्पसाईट पर लगभग 88 लाख क्यूबिक मीटर लेगेसी वेस्ट में से 63.42 लाख क्यूबिक मीटर का निस्तारण हो चुका है, शेष कार्य प्रगतिरत है।
- कचरा मुक्त की गई भूमि – 328 एकड

(द) सी एण्ड डी वेस्ट :–

- 01 (50 TPD) उदयपुर में प्लांट कार्यरत है।
- 01 (300 TPD) जयपुर में कार्यपूर्ण उपरान्त प्लांट ट्रायल–रन पर है।
- 04 प्लांट (अजमेर – 50 TPD, बीकानेर, जोधपुर और कोटा–100 TPD) निर्माणाधीन
- 01 प्लान्ट अलवर (50 TPD) हेतु कार्यादेश जारी।

3.2 यूज्ड वाटर मैनेजमेन्ट

- एक लाख से कम आबादी वाले 208 शहरों में गन्दे पानी हेतु Interception & Diversion Drain एवं Nature Based Treatment करना।
- कुल डी.पी.आर तैयार – 123
- निविदा आमंत्रित – 50
- निविदा प्राप्त – 57

3.3 सेनिटेशन

(अ) व्यक्तिगत घरेलू शौचालयः–

- कुल लक्ष्य – 29790
- 3692 सत्यापित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिये 1.30 करोड़ रूपये की प्रथम किश्त 110 नगरीय निकायों हेतु जारी की जा चुकी है।

(ब) सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय/डिजायरेबल शौचालय

- कुल लक्ष्य–6320 सीट्स

- कार्यादेश जारी– 1570 सीट्स

कार्य पूर्ण :–

- कुल कार्य पूर्ण– 480 सीट्स
- सामुदायिक शौचालय– 210 सीट्स
- सार्वजनिक शौचालय– 230 सीट्स
- डिजायरेबल शौचालय– 40 सीट्स
- शेष कार्य प्रगतिरत है।

(स) पिंक शौचालय –

- 68 नगरीय निकायों में 458 पिंक शौचालय की सीट्स बनायी जायेंगी। जिसमें से 06 नगरीय निकायों में 26 सीट्स का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

स्वच्छ सर्वेक्षण

- स्वच्छ सर्वेक्षण – 2022 में राज्य की 8वीं रैंक
- स्वच्छ सर्वेक्षण – 2023 में राज्य की 25वीं रैंक
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2024:– कुल अंक 9500, जिसका कार्य प्रगति पर है।

3.4 आई.ई.सी

- आई.ई.सी का एक्शन प्लान स्वीकृत कर भारत सरकार को भिजवा दिया गया है।
- आई.ई.सी के अन्तर्गत वार्ड सभा, नुक्कड़ नाटक, पपेटशौ, एफ.एम जिंगल इत्यादि द्वारा पब्लिक को जागरूक किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अभियान चलाये जाते है, जिसमें स्वच्छोत्सव 2024, मेरी माटी मेरा देश, RRR सेन्टर, शहर सौंदर्यीकरण अभियान (CBC), स्वच्छ शौचालय अभियान, विन्स अवार्ड, स्वच्छता ही सेवा, इण्डियन स्वच्छता लीग, स्वच्छ तीर्थ अभियान, स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त जल निकाय, स्वच्छ विद्यालय अभियान, स्वच्छ वार्ड रैंकिग, ब्रांड एम्बेंस्डर, स्वच्छ चैम्पियन, स्वच्छता के लिए श्रमदान एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंन्ती 25 दिसम्बर को सुशासन दिवस का आयोजन किया गया।

3.5 क्षमता संर्वधन

1. क्षमता संर्वधन का एक्शन प्लान् स्वीकृत कर भारत सरकार को भिजवा दिया गया है।
2. Program Management Unit (PMU) outsource पर कार्यरत है।
3. क्षमता संर्वधन के अन्तर्गत समय–समय पर कार्यशाला एवं ट्रेनिंग का आयोजन किया जा रहा है जैसे कि सफाई कर्मचारियों का, एम.आई.एस इंन्जिनियरस्, एन.जी.ओ, स्वच्छ भारत मिशन

के नोडल अधिकारियों का, लेखा अधिकारियों, संभाग स्तर पर स्वच्छ सर्वेच्छण 2024 में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

4. नमस्ते योजना

1. योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में सीवर एवं सेप्टिक टैंको की सफाई में लगे हुए स्वच्छताकर्मियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना है।
2. 240 में से 224 नगरीय निकायों में प्रोफाइलिंग कैम्पों का आयोजन कर 3368 वर्कर्स की प्रोफाइलिंग की जा चुकी है।
3. स्वच्छ उद्यमी योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा 20 वर्कर्स को चिन्हित कर सीवर वाहन/उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
4. राज्य में आज दिनांक तक कुंल 321 वर्कर्स को प्रधानमंत्री–जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया है।
5. राज्य में नमस्ते योजना के अन्तर्गत प्रोफाइल किये गये कुल 3018 वर्कर्स हेतु पीपीई किट एवं 36 बडी नगरीय निकायों हेतु सीवर सेप्टिक टैंक सफाई हेतु सुरक्षा उपकरणों के क्रय हेतु निविदाएं NSKFDC द्वारा जारी की जा चुकी है।
6. नमस्ते योजना के तीसरे घटक के रूप में कचरा बीनने वाले रैगपिकर्स को जोड़ा जा चुका है, जिसके लिए राज्य में शीघ्र ही वृहत् स्तर पर कैम्पों का आयोजन किया जाकर प्रोफाइलिंग का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

5. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के कर्त्तव्य निर्धारित है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग है। नगरीय निकायों द्वारा प्लान्ट स्थापित करने हेतु लीजडीड पर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से निस्तारण के अन्तर्गत 11 शहरों में स्थापित कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसेलिटी संयत्रों से जोधपुर, पाली, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारां, जयपुर, उदयपुर, जालौर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दौसा, कोटा, बूंदी, सिरोही, सीकर, चुरू, झुझुंनू, जयपुर ग्रामीण, राजसमन्द, चित्तौडगढ, सवाई माधोपुर, टोंक सहित 30 जिलों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है।

सवाई माधोपुर बॉयोमेडिकल प्लान्ट हेतु National Board for wildlife (NBWL) से NOC लम्बित है। चित्तौड़गढ़ बॉयोमेडिकल प्लान्ट हेतु भूमि आवंटन की स्वीकृति का कार्य प्रगतिरत है। स्वीकृति

उपरांत प्लान्ट का कार्य किया जावेगा। उक्त प्लान्ट पर चित्तौड़गढ़ एवं राजसमन्द जिले के बॉयोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जायेगा। झुझुंनू बॉयोमेडिकल प्लान्ट लगाये जाने हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। वर्तमान में Environmental clearance प्रक्रियाधीन है। उक्त प्लान्ट पर झून्झूनुं, चुरू एवं सीकर जिले के बॉयोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जावेगा। जैसलमेर बॉयोमेडिकल प्लान्ट हेतु Environmental clearance प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरांत प्लान्ट का कार्य किया जावेगा। उक्त प्लान्ट पर जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के बॉयोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण किया जायेगा।

6. प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन नियम 2016, 2018 एवं 2021 अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कर्तव्य निर्धारित है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसका नोडल विभाग है तथा स्वायत्त शासन विभाग स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबन्धित किया हुआ है। प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग्स की जब्ती व अन्य कार्यवाही हेतु जिला कलक्टर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।

सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अनुछेद 258 के तहत् प्लास्टिक कैरी बैग्स को जब्त करने का कार्य किया जा रहा है। नगरीय निकायों द्वारा 193 टन प्लास्टिक कैरी बैग्स की जब्त की जाकर उनके निस्तारण हेतु सीमेन्ट फैक्ट्रियों में भिजवाया गया है तथा 128.77 लाख़ रूपये की शास्ति लगाई गई है। समस्त नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी का निर्माण करवाया जावेगा। वर्तमान में 152 नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी संचालित हैं तथा नगरीय निकायों द्वारा रेगपिकर को चिन्हित किया जाकर पहचान पत्र आवंटित किये गये है, जो कि मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी पर ठोस कचरे से प्लास्टिक व अन्य रिसाईकलेबल मैटेरियल को पृथक्कीरण का कार्य कर रहे है। छंटनी किया गया मेटेरियल रिसाइकलर्स/सीमेन्ट प्लांट को भिजवाया जा रहा है।

(5) <u>ऊर्जा बचत योजना</u> (Energy Saving Project) :

(राजस्थान मे परम्परागत स्ट्रीट लाईटस को LED स्ट्रीट लाईटो मे परिर्वतन करने की योजना)

- राजस्थान मे स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र मे ऊर्जा बचत करने के लिये ''एनर्जी सेविगं प्रोजेक्ट" लागू किया गया, जिसके तहत पुरानी ट्युबलाईट/सोडियम लाईट के स्थान पर नवीनतम तकनीक युक्त एल.ई.डी. लाईट का उपयोग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़को पर प्रकाश की मात्रा मे वृद्धि करना व विद्युत उपभोग मे कमी करना है।

- इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिये 23 जनवरी 2015 को भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ''एनर्जी एफीसियन्सी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), नई दिल्ली'' से अनुबन्ध पत्र (MOU) हस्ताक्षरित किया गया।
- वर्ष 2016 एवं 2017 मे राजस्थान देश मे सर्वाधिक एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट लगाकर देश मे प्रथम स्थान पर रहा।
- राजस्थान मे इस योजना को पूर्णतयाः लागू करने के लिए सभी 191 निकायों तथा ई.ई.एस. एल. के मध्य MOU सम्पादन की कार्यवाही की गयी। प्रदेश में अभी तक 10.74 लाख एल.ई. डी. लाईटे लगाई जा चुकी है। 191 नगरीय निकायों में कार्य पूर्ण हो चुका है।
- कार्य पूर्ण होने के पश्चात, प्रोजेक्ट अवधि–7 वर्ष तक फर्म द्वारा ही रख रखाव का कार्य किया जा रहा है।
- वर्तमान में 168 निकायों में अनुबन्ध समाप्त हो चुका है। शेष 22 निकायों में अनुबन्ध प्रगतिरत है। जुलाई 2026 में प्रोजेक्ट का अनुबन्ध पूर्णतया समाप्त हो जावेगा।

6. राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (राजस्थान नगरीय पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम लिमिटेड (रूडसीको) की ईकाई

राजस्थान नगरीय आधारभूत परियोजना एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है।

परियोजना के मूल उद्देश्य

परियोजना का मूल उद्वेश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों का समग्र सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना है। उक्त उद्वेश्य की प्राप्ति हेतु आर्थिक विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जायेगा। साथ ही जीवन स्तर में सुधार लाने एवं मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वांछित शहरी आधारभूत सुविधाओं एवं सेवाओं के प्रबन्धन को सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के माध्यम से एक ऐसा मॉडल तैयार किया जा सकेगा जिसे भविष्य में राज्य के अन्य शहरों द्वारा भी आधारभूत सुविधाओं की मांगों के लिए अपनाया जा सकेगा।

प्रशासनिक संरचना प्रबन्धन एवं क्रियान्वयन

किसी भी परियोजना के कुशल संचालन के लिए विभिन्न स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता रहती है जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए परियोजना का प्रबन्धन व क्रियान्वयन निम्न स्तरों पर होता हैः

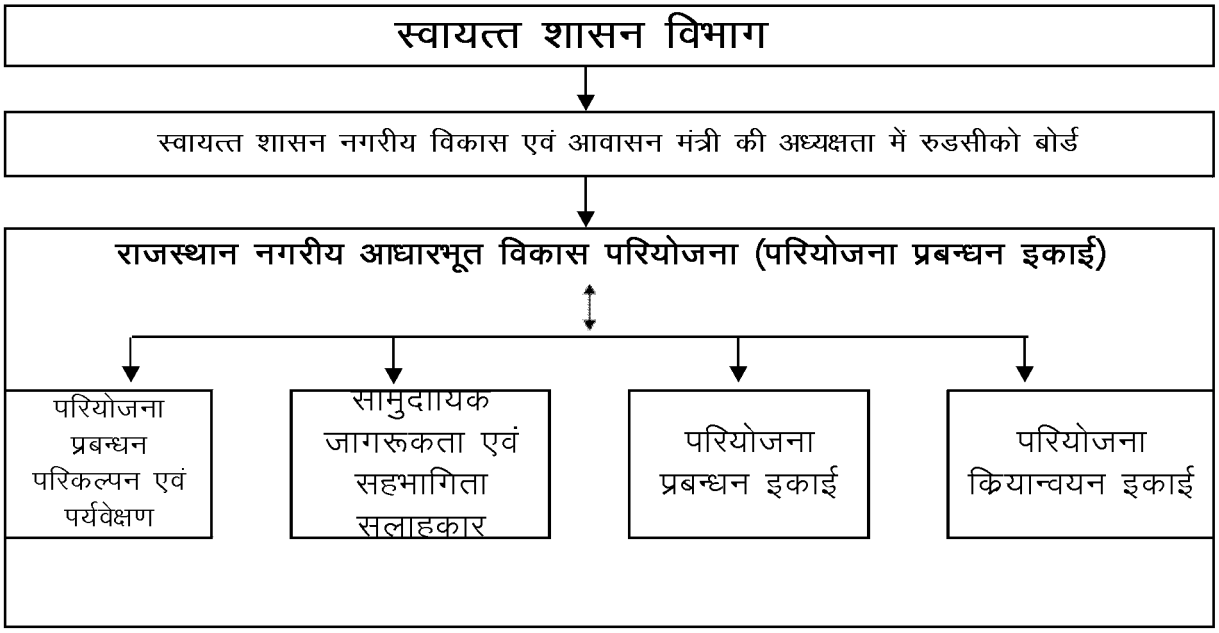

परियोजना की कार्यकारी एजेन्सी (Executive Agency] स्वायत्त शासन विभाग है।

<u>परियोजना की समीतियॉ</u>

- **रुडसिको बोर्ड (RUDSICO BOARD)**

  राज्य स्तर पर माननीय मंत्री, नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के स्थान पर रुडसिको बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड परियोजना के समन्वय व निर्देशन के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही परियोजना से संबंधित विभिन्न नीतिगत निर्णय लेगा। इसके अन्तर्गत समस्त कार्यों को स्वीकृत करने, सेक्टर तथा शहरवार कार्यों का आवंटन करने, वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत करने, परियोजना की वार्षिक आयोजना सीमा में परियोजना हेतु व्यय स्वीकृत करने के साथ परियोजना अवधि के भीतर अस्थाई पदों तथा अनुबंध पर सेवा की स्वीकृति देने संबंधी राज्य सरकार के अधिकार प्रदत्त किये गये है। उक्त बोर्ड को परियोजना के भीतर परियोजना क्रियान्वयन संबंधी कोई भी निर्णय लेने का अधिकार प्रदत्त किया गया है, जो परियोजना के समय पर पूरा करने हेतु आवश्यक हो। बोर्ड अपने कुछ अधिकार एक उपसमिति अथवा परियोजना प्रबन्धन इकाई को प्रत्यायुक्त (Delegate) करने के लिए अधिकृत होगा। स्वायत्त शासन विभाग उपरोक्त उप समिति हेतु प्रशासनिक विभाग होगा।

- **कार्य चयन समिति (Work Finalization Committee)**

  प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में कार्य चयन समिति (Work Finalization Committee) का गठन किया गया। सर्वप्रथम प्रत्येक शहर में संबंधित विभागों

की चिन्हित आवश्यकताओं के अनुसार व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् प्रस्तावों की रूपरेखा बनाई गई। ऋण स्वीकृति से पूर्व एशियन डवलपमेंट बैंक द्वारा नियुक्त सलाहकारों ने विस्तृत विश्लेषण व विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श के उपरान्त फिजीबिलिटी रिपोर्ट में कार्यों को चिन्हित किया। परियोजना की औपचारिक स्वीकृति के पश्चात् विभिन्न प्रस्तावों का अनुमोदन प्रत्येक शहर हेतु आयोजित बैठक में किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि/विभागीय अधिकारी सम्मिलित हुए। वर्तमान में कार्यों की प्राथमिकता जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित सिटी लेवल कमेटी, जिसमें स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि एवं राजकीय अधिकारी सदस्य हैं, के द्वारा तय की जाती है। अन्तिम निर्णय माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के द्वारा किये जाते हैं। परियोजना में दीर्घकालीन परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जनसाधारण के लिए आवश्यक व उपयोगी कार्यों को ही चिन्हित किया गया है।

- **शहरी स्तरीय समिति (City Level Committee - CLC)**

  परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन एवं स्थानीय दिशा–निर्देशों के समन्वय के लिए सभी शहरों में सिटी लेवल कमेटी का गठन किया गया। परियोजना शहरों में योजना को शीघ्र सम्पादित करने के लिए निर्देश देने व संबंधित विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु शहर स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इन समितियों का गठन किया गया। इस समिति में स्थानीय सांसद, विधायक, स्थानीय निकायों के अध्यक्ष व अन्य राजकीय अधिकारी सदस्य है।

- **निविदा मूल्यांकन एवं अनुमोदन समिति (Tender Approval & Tender Evaluation Committee)**

  परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एवं विभिन्न स्तर पर कार्यों की देख–रेख के लिए निविदा मूल्यांकन एवं अनुमोदन समिति (Tender Approval & Tender Evaluation Committee) का गठन किया गया है।

- **परियोजना प्रबन्धन इकाई (Project Management Unit-PMU)**

  परियोजना के क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण का कार्य परियोजना प्रबन्धन इकाई का है जो परियोजना निदेशक के नेतृत्व में स्वायत्त शासन विभाग के अधीन कार्य करती है। परियोजना में कार्यों का चिन्हीकरण, डिजाइन, टेण्डर प्रपत्र बनाने व टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी करने के निर्देश तथा कार्यों के भौतिक क्रियान्वयन की मोनीटरिंग का उत्तरदायित्व उक्त इकाई का है। परियोजना से संबंधित विभिन्न विकास कार्य, राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार ऋण समझौते के अनुरूप करवाये जाने के कार्य सम्पादित किये जाते है।

- **परियोजना क्रियान्वयन इकाई (Project Implementation Units, PIU)**

  परियोजना शहर में योजना में सम्मिलित कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन तथा निष्पादन हेतु प्रत्येक शहर में अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंता के नेतृत्व में परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यालय स्थापित किये गये है जो परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी के अधीन है। यह इकाई परियोजना के कार्यों का भौतिक क्रियान्वयन करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण

- **परियोजना प्रबंध एवं क्षमता सवंर्धन सलाहकार (Project Management and Capacity Building Consultant, PMCBC)**

  आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत परियोजना प्रबंध एवं क्षमता सवंर्धन सलाहकार इकाई की सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, सर्वे, विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार करने, निविदाओं का प्रारूप तैयार करने आदि कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। पी.एम.सी.बी.सी. का चयन एडीबी के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। इनका कार्यक्षेत्र चतुर्थ चरण के परियोजना शहर हैं।

- **अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार–1 (Contract Management and Supervision Consultant -CMSC-1)**

  आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत वर्तमान में 19 शहरों यथा कुचामन, लाडनू, डीडवाना, मकराना, खेतडी, मण्डावा, बांदीकुई, नीमकाथाना, शाहपुरा (जयपुर), जोबनेर, बाडी, डीग, भवानीमण्डी, तिजारा, दौसा, बूंदी, भरतपुर, पुष्कर एवं नवलगढ आदि के लिए अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण एवं ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों आदि का सत्यापन करने के लिए अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। सी.एम.एस.सी. का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

- **अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार–2 (Contract Management and Supervision Consultant -CMSC-2)**

  आरयूआईडीपी के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत वर्तमान में 21 शहरों यथा आबुरोड, सिरोही, सरदारशहर, रतनगढ, लक्ष्मणगढ, फतेहपुर, प्रतापगढ, बांसवाडा, नोखा, जोधपुर, निम्बाहेडा, डूगंरपुर, जैसलमेर, सागवाडा, बालोतरा, नाथद्वारा, भिंडर–कानोड, गंगापुर (भीलवाडा), शाहपुरा (भीलवाडा), पीलीबंगा–सूरतगढ एवं बाडमेर आदि के लिए अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण एवं ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों आदि का सत्यापन करने के लिए अनुबंध प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण

हेतु राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों को नियुक्त करने का परियोजना में प्रावधान है। सी.एम.एस.सी. का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है।

- **सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता सलाहकार (Community Awareness and Participation Program, CAPP)**

  परियोजना के अन्तर्गत आमजन की अपेक्षाओं से जुड़े मुद्दों जैसे–सीवरतंत्र का विकास, ठोस कचरा प्रबन्धन, पेयजल का समुचित उपयोग आदि में सक्रिय जनसहभागिता के बिना इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भव नहीं है। फलस्वरूप नागरिकों तक वास्तविक लाभ पहुंचाने एवं कार्यों की सुनिश्चितता के लिए जनसहभागिता को परियोजना के महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जाता है। इसी को ध्यान में रख कर परियोजना ने जन सहभागिता कार्यक्रम इकाई का गठन किया गया हैं जो परियोजना के 14 शहरों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

आरयूआईडीपी –प्रथम चरण (वर्ष 2000–2008)

राजस्थान राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर 1854 करोड़ रुपये के नगरीय आधारभूत सुविधाओं के विकास के उल्लेखनीय कार्य राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के माध्यम से राज्य के छः शहरों जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में कराये गये। उक्त परियोजना के अन्तर्गत प्रमुखतया पेयजल, सीवर व्यवस्था, सड़क, फ्लाई ओवर तथा रेलवे क्रासिंग पर पुलों का निर्माण, सुनियोजित ड्रेनेज व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबन्धन, स्थानीय निकायों का कम्प्यूटरीकरण व क्षमता संवर्द्धन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विकास कार्यों को नवीन ऊर्जा प्रदान कर तीव्र गति से कार्य योजना का निष्पादन किया है। परियोजना में विभिन्न क्षेत्रों के समस्त 209 पैकेजों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

आरयूआईडीपी –द्वितीय चरण (वर्ष 2000–2019)

राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास विनियोजन कार्यक्रम (RUSDIP)

आरयूआईडीपी के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य सरकार के 15 शहरों यथा **अलवर, बांरा, बाड़मेर, भरतपुर, बूंदी, चित्तोड़गढ़, चूरू, धौलपुर, जैसलमेर, झालावाड़, करौली, नागौर, राजसमंद, सवाई माधौपुर और सीकर** में 1780 करोड़ रुपये के कार्य कराये गये। इस परियोजना हेतु 70 प्रतिशत राशि एडीबी से बैक टू बैक आधार पर ऋण सहायता के रूप में प्राप्त की गयी तथा शेष 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गयी। यह ऋण 'बहुचरणीय ऋण सुविधा' (मल्टीट्रेंच फेसीलिटी) के अन्तर्गत 3 ट्रेन्च में प्राप्त हुआ है। प्रत्येक चरण का ऋण 25 वर्ष की पुनर्भुगतान (पांच वर्ष की छूट अवधि सहित) अवधि का हुआ ।

सम्पादित किये गये कार्य : विनियोजन कार्यक्रम में मुख्यतया जलप्रदाय योजनाओं के पुनर्वासन एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल–मल प्रबन्धन (सीवेज), ड्रेनेज, शहरी परिवहन एवं यातायात व्यवस्था में सुधार, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विरासत हेतु संरचनात्मक कार्य सम्मिलित किये गये हैं।

कुल स्वीकृत सभी 109 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

आरयूआईडीपी तृतीय चरण (प्रोजेक्ट एवं प्रोग्राम लोन)

- राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरयूएसडीपी–आरयूआईडीपी तृतीय चरण) के माध्यम से राज्य के चयनित शहरों के नागरिकों को पेयजल वितरण, सीवरेज मय पूर्ण सेनिटेशन की सेवा प्रदान की जावेगी।
- आरयूएसडीपी के अन्तर्गत प्रोजेक्ट ऋण राशि यूएस डॉलर 250 मिलियन एवं प्रोग्राम ऋण राशि यूएस डालर 250 मिलियन (प्रोजेक्ट कम प्रोग्राम लोन राशि यूएस डॉलर 500 मिलियन) की मंजूरी नवम्बर 2015 में दी गई । प्रोजेक्ट एवं प्रोग्राम ऋण के तहत कुल राशि यूएस डालर 610 मिलियन (अनुमानित लागत राशि रुपये 3660 करोड है,जिसमें 660 करोड स्टेट शेयर सम्मिलित)।
- दोनो ऋण अनुबन्ध भारत सरकार, राज्य सरकार एवं एडीबी के मध्य दिनांक 11 सितम्बर 2015 को हस्ताक्षर किये गये है एव 25 नवम्बर 2015 से लागू किये गये है।
- आरयूआईडीपी तृतीय चरण के अन्तर्गत जलप्रदाय, सीवरेज कार्यो मय रोड रेस्टोरेशन कार्य एक ही अनुबन्ध (एक शहर एक अनुबन्ध) के तहत किये जाने हैं। इन अनुबन्धो में दीर्घ अवधि (10 वर्ष) तक के अनुरक्षण, मरम्मत एवं परिचालन का प्रावधान किया गया है एवं परफोरमेंस आधारित भुगतान का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

➢ **प्रोजेक्ट ऋण**

- परियोजना में मुख्य रूप सें जलप्रदाय, सीवरेज, सम्पूर्ण स्वच्छता एवं अपशिष्ठ जल का पुर्नचक्रण तथा डिजिटल नेटवर्क के संबंधित कार्य किये जाने हैं। परियोजना पूर्ण होने की संभावित अवधि वर्ष जून, 2025 है।
- एडीबी द्वारा प्रोजेक्ट ऋण अवधि सितम्बर 2020 तक ही स्वीकृत किया गया है। एडीबी से सितम्बर 2020 तक कुल 109.57 (761.51 करोड़) मिलियन डालर प्राप्त किये गये है। शेष कार्य राजस्थान सरकार के बजट से पूर्ण किये जा रहे है।

- **प्रोजेक्ट ऋण** के अन्तर्गत 5 शहर क्रमशः **श्रीगंगानगर, झुंझनू, पाली, भीलवाड़ा एवं टोंक** को शामिल किया गया है। कुल 7 पैकेज (पाली में 3 एवं अन्य शहरों में 1–1 कार्य) आवंटित किये जा चुके हैं। कार्यों पर 31 दिसम्बर 2024 तक लगभग 2015.69 करोड़ रूपये का सकल व्यय किया जा चुका है।

शहरवार कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:–

- **टोंक** – कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 456.96 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 428 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 499 किमी पानी की लाईन, 4 पानी की टंकियाँ एवं हाउस सर्विस कनेक्शन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 267.65 किमी सीवर लाईन, 20 एमएलडी क्षमता के 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन एवं 30750 हाउस सीवर कनेक्शन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

- **पाली पैकेज 1**–कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 384.07 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 356.89 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। कार्य भौतिक रूप से पूर्ण।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 723 किमी पानी की लाईन एवं 49251 हाउस सर्विस कनेक्शन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 352.89 किमी सीवर लाईन, 15 एमएलडी क्षमता के 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2 पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण हुआ है। 9400 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।

- **पाली पैकेज 2** – कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 66.59 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 63.69 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 41 किमी पानी की लाईन, 7 उच्च जलाशय, 3 पम्पिंग स्टेशन, 1 जल शोधन यंत्र एवं 1 स्वच्छ जलाशय का निर्माण पूर्ण हुआ है।

- **पाली पैकेज 3** – कार्य की लागत राशि रूपये 26.76 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 19.40 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। 40000 हाउस सीवर कनेक्शन के विरूद्व अभी तक 34667 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।

- **श्रीगंगानगर** – कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 471 करोड़ है। कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि 30.06.2025 है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 352.66 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 450 किमी पानी की लाईन, 3 पम्पिंग स्टेशन, 1 जल शोधन सयंत्र एवं 3 स्वच्छ जलाशय, 2 रॉ वाटर जलाशय एवं 50000 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 439 किमी पानी की लाईन, 3 पम्पिंग स्टेशन, 1 जल शोधन सयंत्र एवं 3 स्वच्छ जलाशय, 2 रॉ वाटर जलाशय एवं 45674 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 306.50 किमी सीवर लाईन, 1 पम्पिंग स्टेशन एवं 43000 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 292 किमी सीवर लाईन, 1 पम्पिंग स्टेशन का कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

- **झुंझुनू** – कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 219.61 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 205.49 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं, कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 514 किमी पानी की लाईन, 1 उच्च जलाशय, 6 पम्पिंग स्टेशन, एवं 5 स्वच्छ जलाशयँ एवं 25050 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 131 किमी सीवर लाईन, 7 एमएलडी क्षमता के 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2 पम्पिंग स्टेशन एवं 10600 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।

- **भीलवाड़ा** (सीवरेज कार्य) – कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 413.17 करोड़ है, कार्य पूर्ण किया जा चुका है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 398. 31 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 393.25 किमी सीवर लाईन, 1 पम्पिंग स्टेशन, 30 एमएलडी क्षमता का 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं 47550 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।

- **बिल एण्ड़ मेलिंडा गेट्स फाउन्डेशन (Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)**

  एशियन विकास बैंक के Water Financing Partnership Facility (WFPF) कार्यक्रम के अन्तर्गत Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) के सहयोग से 2 मिलियन डालर की अनुदान राशि

स्वीकृत हुई है, जिसके तहत परियोजना शहरों के ऐसे क्षेत्र जो तकनीकी कारणों से सीवरेज नेटवर्क में नहीं जोड़े जा सकते हैं, में विकेंद्रित मल–जल शोधन संयत्र (Decentralized Wastewater Treatment) पर आधारित कार्य करवाये गये है। अनुदान की राशि के अन्तर्गत, परियोजना शहरों (फुलेरा, सांभर, लालसोट व खण्डेला) में उक्त कार्य परीक्षण/प्रायोगिक (Pilot) आधार पर,सलाहकार के माध्यम से करवाये गये है, जिसके अनुभव के आधार पर राज्य के अन्य शहरों में भविष्य में समान प्रकार के कार्य करवाये जाएंगे।

➢ **प्रोग्राम लोन** :–

- सभी 9 पालिसी रिफार्म अनुपालना पूर्ण – ऋण राशि 1713.66 करोड़ (यू.एस.डालर 250 मिलियन) जारी। प्रोग्राम लोन के तहत 7 शहरों सवाई माधोपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, झालावाड़, कोटा (सीवरेज) एवं बांसवाड़ा (ड्रेनेज) में कार्य आवंटित किये गये है। प्रोग्राम लोन के तहत माह 31 दिसम्बर, 2024 तक लगभग 1674.09 करोड़ रूपये का सकल व्यय किया जा चुका है।

शहरवार कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:–

➢ **सवाई माधोपुर** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 103.47 करोड़ है। कार्य पर दिसम्बर, 2024 तक 102.34 करोड का व्यय किया जा चुका है। कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कार्य के तहत् 124 किमी सीवर लाईन एवं 18000 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है। 10 एमएलडी क्षमता के 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

➢ **उदयपुर** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 77.21 करोड़ है। कार्य पर दिसम्बर, 2024 तक 74.73 करोड का व्यय किया जा चुका है तथा कार्य पूर्ण हो चुका है।

कार्य के तहत् 66.53 किमी सीवर लाईन तथा 5370 हाउस सीवर कनेक्शन हुये हैं।

➢ **झालावाड़** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 134.57 करोड़ है। कार्य को पूर्ण करने की संभावित तिथि 31.03.2025 है। कार्य पर दिसम्बर, 2024 तक 128.28 करोड का व्यय किया जा चुका है। लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

कार्य के तहत् 129.50 किमी सीवर लाईन, 9 एमएलडी क्षमता के 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन, 7 पम्पिंग स्टेशन तथा 17000 हाउस सीवर कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 129.50 किमी सीवर लाईन, 5 पम्पिंग स्टेशन एवं 7591 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है शेष कार्य प्रगति पर है।

- **बीकानेर** (सीवरेज) – कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 314.19 करोड़ है। कार्य पर दिसम्बर, 2024 तक 302.13 करोड का व्यय किया जा चुका है। कार्य के तहत् 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 पम्पिंग स्टेशन एवं 297.78 किमी सीवर लाईन तथा 41926 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा कार्य पूर्ण हो चुका है।
- **माउंट आबू** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 59.59 करोड़ है। कार्य पर दिसम्बर, 2024 तक 52.16 करोड का व्यय किया जा चुका है। कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

  अनुबंधानुसार कार्य के तहत् 37 किमी सीवर लाईन, 615 केएलडी क्षमता के 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 2 पम्पिंग स्टेशन, 6 एमएलडी एसटीपी के अपग्रेडेशन का कार्य तथा 2286 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।
- **कोटा–2** (सीवरेज)–कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) एवं अमृत की राशि सहित रूपये 597.29 करोड़ है। कार्य पर दिसम्बर, 2024 तक 585.51 करोड का व्यय किया जा चुका है। सीवरेज योजना के तहत् 322 किमी सीवर लाईन, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (55 एमएलडी क्षमता), 2 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन तथा 36340 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा कार्य पूर्ण हो चुका है।
- **कोटा–3** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 144.42 करोड़ है। कार्य पर दिसम्बर, 2024 तक 141.71 करोड का व्यय किया जा चुका है। योजना के तहत् 80.34 किमी सीवर लाईन, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 3 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन तथा 6790 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा कार्य पूर्ण हो चुका है।
- **बांसवाड़ा (ड्रेनेज– 14.11 करोड़ रूपये)** – 11 नालो का नवीनीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण

चतुर्थ चरण का कार्य दो ट्रेंच में किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें प्रथम ट्रेंच की स्वीकृति एडीबी द्वारा जारी की गई है।

- **चतुर्थ चरण प्रथम ट्रेंच**:

- 14 शहरों में 3076 करोड़ रूपये के कार्य, एडीबी ऋण–2154 करोड (300 मिलियन डालर), राज्यांश–922.63 करोड (128.5 मिलियन डालर)
- **कुल व्यय** – 31 दिसम्बर 2024 तक राशि रूपये 2067.81 करोड़
- **व्यय वर्ष 2024–25**: 31दिसम्बर 2024 तक राशि 312.52 करोड़ रुपये (संशोधित बजट प्रावधान 488.92 करोड़ के विरूद्ध)

- **कार्यों का शहरवार विवरण**

➢ **सिरोही** (जलप्रदाय एवं सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 240.09 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 179.82 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 91 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 159 किमी पानी की लाईन, 3 पम्पिंग स्टेशन, 1 जल शोधन सयंत्र, 3 स्वच्छ जलाशय एवं 12428 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 158 किमी पानी की लाईन, जल शोधन यंत्र 99 प्रतिशत, स्वच्छ जलाशय 99 प्रतिशत, पम्पिंग स्टेशन 91 प्रतिशत एवं 10848 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 92.73 किमी सीवर लाईन, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं 11002 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 91.44 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण हुआ है एवं अन्य कार्य प्रगति पर है।

➢ **आबू रोड** (जलप्रदाय एवं सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 303.85 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 224.54 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 171.96 किमी पानी की लाईन, 4 पम्पिंग स्टेशन, 1 जल शोधन यंत्र एवं 5 स्वच्छ जलाशय, एवं 12924 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 163 किमी पानी की लाईन, पम्पिंग स्टेशन 90 %, जल शोधन यंत्र 98% एवं स्वच्छ जलाशय 96% एवं 9176 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 102 किमी सीवर लाईन, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं 11600 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 99 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का 99 % कार्य एवं अन्य कार्य प्रगति पर है।

➢ **रतनगढ** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 196.62 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 134.55 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 84 प्रतिशत कार्य पूर्ण। इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 144 किमी सीवर लाईन, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट,

2 पम्पिंग स्टेशन एवं 13100 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 143 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 87 प्रतिशत, पम्पिंग स्टेशन का 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

- **फतेहपुर** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्वि एवं करो सहित) राशि रूपये 119.61 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 107.10 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। कार्य पूर्ण। सीवरेज योजना के तहत् 103.59 किमी सीवर लाईन, 1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 3 सीवेज पम्पिंग स्टेशन एवं 5850 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।
- **लक्ष्मणगढ** (जलप्रदाय)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्वि एवं करो सहित) राशि रूपये 49.63 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 46.77 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। कार्य पूर्ण। इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 167.84 किमी पानी की लाईन, 2 पम्पिंग स्टेशन, 2 स्वच्छ जलाशय एवं 8840 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।
- **सरदारशहर** (जलप्रदाय एवं सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्वि एवं करो सहित) राशि रूपये 208.41 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 128.23 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 273 किमी पानी की लाईन, 1 स्वच्छ जलाशय, 1 पम्पिंग स्टेशन एवं 22907 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 262 किमी पानी की लाईन, 1 स्वच्छ जलाशय पूर्ण एवं 1 पम्पिंग स्टेशन का कार्य तथा 15979 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 62 किमी सीवर लाईन, 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 1 पम्पिंग स्टेशन एवं 5600 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 61 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 62%, पम्पिंग स्टेशन का 80% कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।
- **प्रतापगढ** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्वि एवं करो सहित) राशि रूपये 182.26 करोड़ है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 169.34 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। कार्य पूर्ण।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 110.98 किमी सीवर लाईन, 1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट 1 पम्पिंग स्टेशन एवं 10375 हाउस सीवर कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- **बांसवाड़ा** (जलप्रदाय एवं सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 337.68 करोड़ है। कार्य को 31.01.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 267.48 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 353.10 किमी पानी की लाईन, 2 पम्पिंग स्टेशन, 1 जल शोधन यंत्र एवं 2 स्वच्छ जलाशय एवं 24111 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक पानी की लाईन, जल शोधन यंत्र 86%, 2 स्वच्छ जलाशय एवं 24011 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 109 किमी सीवर लाईन, 2 पम्पिंग स्टेशन, 1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 11251 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है।

- **मण्डावा** (जलप्रदाय एवं सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 107.64 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 91.75 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 87 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 133 किमी पानी की लाईन, 1 पम्पिंग स्टेशन, 1 स्वच्छ जलाशय एवं 5190 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 54 किमी सीवर लाईन, 1 पम्पिंग स्टेशन, 1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 5140 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 54 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट 92%, पम्पिंग स्टेशन का 95% कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

- **खेतडी** (जलप्रदाय एवं सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 79.59 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 53.49 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 54.89 किमी पानी की लाईन, 2 पम्पिंग स्टेशन, 1 स्वच्छ जलाशय एवं 4400 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 53 किमी पानी की लाईन, पम्पिंग स्टेशन 90% एवं स्वच्छ जलाशय 90%, एवं 2882 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 35 किमी सीवर लाईन, 1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 4146 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 31 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का 54% कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

- **कुचामन** (जलप्रदाय एवं सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 350.85 करोड़ है। कार्य को 31.05.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 211.93 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 76 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इस कार्य के तहत् जल प्रदाय सैक्टर में लगभग 417.65 किमी पानी की लाईन, 4 पम्पिंग स्टेशन, 4 स्वच्छ जलाशय एवं 14900 हाउस सर्विस कनेक्शन किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अब तक 391 किमी पानी की लाईन, स्वच्छ जलाशय 69%, पम्पिंग स्टेशन 69%, एवं 12963 हाउस सर्विस कनेक्शन का कार्य पूर्ण हुआ है तथा अन्य शेष कार्य प्रगति पर है।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 149.77 किमी सीवर लाईन, 2 पम्पिंग स्टेशन, 1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 9500 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 138 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट 61 %, पम्पिंग स्टेशन का 46% कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

- **लाडनूं** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 193.13 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 118.64 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 74 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 112.74 किमी सीवर लाईन, 2 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट एवं 13148 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 108 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का 72 % कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

- **डीडवाना** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 86.92 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 71.39 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 55 किमी सीवर लाईन, 1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट 2 पम्पिंग स्टेशन एवं 3283 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 55 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट 81 %, पम्पिंग स्टेशन का 84% कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

- **मकराना** (सीवरेज)– कार्य की अनुमानित लागत (निर्माण, मूल्य वृद्धि एवं करो सहित) राशि रूपये 142.38 करोड़ है। कार्य को 31.03.2025 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। दिसम्बर, 2024 तक कार्य पर 113.09 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं। लगभग 92 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

  इसी प्रकार सीवरेज योजना के तहत् 101 कमी सीवर लाईन, 1 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट, 2 पम्पिंग स्टेशन एवं 7877 हाउस सीवर कनेक्शन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्व अभी तक 98.38 किमी सीवर लाईन, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट 89%, पम्पिंग स्टेशन 84% का कार्य पूर्ण हुआ है अन्य कार्य प्रगति पर है।

अतिरिक्त सम्मिलित शहरो का विवरणः (प्रथम ट्रेंच के बजट से निम्नलिखित अतिरिक्त शहर सम्मिलित किये गये)

क्र स.	शहर का नाम	कार्य	कार्य की लागत (करोड में)	कार्य प्रारंभ / पूर्णता तिथि (अनुबंधानुसार)	व्यय राशि दिसम्बर, 2024 तक (करोड में)	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति
1.	बांदीकुई, नीम का थाना, शाहपुरा (जयपुर), जोबनेर (4 शहर)	एफएसएसएम	12.30	01.07.2022/ 31.12.2023 कार्य पूर्णता की संभावित तिथि– 31.12.2024	8.59	69%	**100%** नीम का थाना– पूर्ण कार्य, यूएलबी को हस्तांतरित। **बांदीकुईः** पूर्ण कार्य, यूएलबी को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगतिरत है। **जोबनेरः** पूर्ण कार्य, यूएलबी को हस्तांतरण की कार्यवाही प्रगतिरत है। **शाहपुराः** भूमि के अभाव मे कार्य निरस्तीकरण का कार्यवाही की जा रही है।
2.	बाडी, डीग, भवानी मण्डी, शाहपुरा (भीलवाडा), तिजारा, भिंडर–कानोड गंगापुर (भीलवाडा), दौसा, सूरतगढ, पीलीबंगा (9 शहर)	एफएसएसएम	33.35	11.11.2022 / 12.05.2024 कार्य पूर्णता की संभावित तिथि– 28.02.2025	15.68	47%	**57%**

➢ आरयूआईडीपी – चतुर्थ चरण अतिरिक्त वित्तपोषित द्वितीय ट्रेंच

- **परियोजना लागत** :– राशि 2450 करोड़ रुपये (एडीबी ऋण–200 मिलियन डालर (1632 करोड), राज्यांश – 85.71 मिलियन डालर (702.82 करोड) तथा अमृत– 14.10 मिलियन डालर (116 करोड) (स्वीकृति प्रक्रियाधीन)
- **एशियन विकास बैंक की गाईडलाईन्स के अनुसार–**

- सीवरेज कार्य हेतु उन्हीं शहरो को लिया जाना प्रस्तावित है जिनका जलापूर्ति स्तर 135 एलपीसीडी से अधिक हो।
- जहॉ जलापूर्ति स्तर 135 एलपीसीडी से कम है वहॉ पर एफएसएसएम व सलेज ट्रीटमेंट का कार्य प्रस्तावित है।

- **प्रस्तावित कार्यक्षेत्र** – जलप्रदाय, सीवरेज, ड्रेनेज एवं शहरी सौन्दर्यीकरण
- **कुल शहर – 16 शहर** :– नोखा, जोधपुर, निम्बाहेडा, डूगंरपुर, बूंदी, भरतपुर, जैसलमेर, सागवाडा, बालोतरा, नवलगढ, भवानीमण्डी, रतनगढ, नाथद्वारा, पुष्कर, बाडमेर एवं माउन्ट आबू
- **कुल कार्य** :– 28
- **भौतिक प्रगति** : 42 प्रतिशत
- **वित्तीय प्रगति** : 28 प्रतिशत

कुल व्यय :– 31 दिसम्बर 2024 तक राशि 660.36 करोड़ रुपये (अमृत– 50.26 करोड सहित)

- ➢ व्यय वर्ष 2024–25 : माह 31 दिसम्बर 2024 तक राशि 214.35 करोड़ रुपये (संशोधित बजट प्रावधान – 406.06 करोड़ के विरूद्ध)

कार्यों का शहरवार विवरण :

क्र स.	शहर का नाम	कार्य	कार्य की लागत (करोड में)	कार्य प्रारंभ / पूर्णता तिथि (अनुबंधानुसार)	व्यय राशि दिसम्बर, 2024 (करोड में)	भौतिक प्रगति
1.	जोधपुर	सीवरेज	333.72	25.08.22 / 24.08.25	193.93 (अमृत– 50.26 करोड सहित)	63%
2.	नोखा	सीवरेज एवं जलप्रदाय	127.50	11.10.22/ 10.10.25	53.87	57%
3.	निम्बाहेडा	जलप्रदाय	97.58	15.12.22/ 14.12.25	34.39	41%
4.	नाथद्वारा	जलप्रदाय	100.72	15.12.22/ 14.12.25	33.83	50%
5.	बूंदी	सीवरेज एवं जलप्रदाय	39.91	15.12.22/ 14.12.23	9.66	34%
6.	डूंगरपुर	सीवरेज एवं जलप्रदाय	191.25	23.01.23/ 21.01.26	51.03	30%
7.	सागवाड़ा	सीवरेज एवं जलप्रदाय	105.54	23.01.23/ 21.01.26	34.63	44%
8.	भरतपुर	सीवरेज	110.79	22.02.23/ 21.02.26	32.92	41%
9.	रतनगढ	ड्रेनेज	33.26	23.02.23/ 23.08.24	15.06	46%
10.	नवलगढ	ड्रेनेज	15.89	23.02.23/ 23.08.24	3.39	30%
11.	बूंदी	ड्रेनेज	56.37	23.02.23/ 23.08.24	10.20	19%

12.	भवानीमण्डी	ड्रेनेज	16.31	23.02.23/ 23.08.24	0.91	26%
13.	जोधपुर	ड्रेनेज	320.21	02.05.23/ 01.05.25	164.15	50%
14.	भरतपुर	शहरी सौन्दर्यीकरण	28.42	15.05.23/ 12.11.24	22.10	78%
15.	बलोतरा	सीवरेज एवं जलप्रदाय	157.84	26.07.23/ 23.01.26	21.97	29%
16.	बाडमेर	सीवरेज	90.64	26.07.23/ 23.01.26	10.76	13%
17.	सागवाड़ा	शहरी सौन्दर्यीकरण	22.92	22.09.23/ 22.03.25	2.18	12%
18.	जैसलमेर	शहरी सौन्दर्यीकरण	21.99	22.09.23/ 22.03.25	4.21	28%
19.	पुष्कर	शहरी सौन्दर्यीकरण	5.74	कार्यादेश दिनांक 07.01.2025 को जारी कर दिया गया है।		

निविदा प्रक्रियाधीन

क.स	शहर का नाम	कार्य लागत (करोडों में)	विवरण
1	बूंदी में शहरी सौन्दर्यकरण के कार्य	15.20	एडीबी की स्वीकृति उपरांत निविदा दिनांक 05.06.2023 से आमंत्रित, दिनांक 11.07.2023 को प्राप्त, किसी भी निविदादाता द्वारा भाग न लेने के कारण निरस्त की गई। एडीबी के निर्देशानुसार निविदादाताओ के साथ संगोष्ठी की गई तत्पश्चात् दिनांक 07.09.2023 को एडीबी की स्वीकृति उपरांत निविदा पुनः दिनांक 03.10.2023 से आमंत्रित, दिनांक 20.11.2023 को प्राप्त, तकनीकी मूल्यांकन में किसी भी निविदादाता द्वारा अर्हता न होने के कारण **एडीबी के अनुमोदन पश्चात् निविदा दिनांक 26.12.2023 को निरस्त की गई। निविदा दिनांक 13.12.2024 को पुनः आमंत्रित जो दिनांक 21.01.2025 को प्राप्त की जावेगी।**
2.	माउण्ट आबू में शहरी सौन्दर्यकरण के कार्य	13.08	निविदा दिनांक 05.06.2023 से आमंत्रित, दिनांक 10.07.2023 को प्राप्त, वित्तीय निविदा दिनांक 29.09.2023 को प्राप्त, वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् टीईसी की बैठक दिनांक 29.11.2024 को आयोजित। टीइसी का नेगोशिएशन करने हेतु निर्णय एडीबी को अनुमोदन हेतु प्रेषित।
3.	नाथद्वारा में शहरी सौन्दर्यकरण के कार्य	15.89	एडीबी की स्वीकृति उपरांत निविदा दिनांक 11.11.2024 को आमंत्रित, दिनांक 31.12.2024 को प्राप्त की जा चुकी है।
4.	नवलगढ में शहरी सौन्दर्यकरण के कार्य	31.45	एडीबी की स्वीकृति उपरांत निविदा दिनांक 13.12.2024 को आमंत्रित, दिनांक 20.01.2025 को प्राप्त की जाएगी।
	योग	**75.62**	

➢ **अन्य Deposit कार्यों की स्थिति :**

क. स	कार्य का नाम	कार्य लागत (करोडों में)	भौतिक प्रगति	व्यय राशि दिसम्बर, 2024 तक (करोड में)	विवरण
1.	चरण–I 4 शहरों के अस्पतालों में 7 एसटीपी	35.47	96%	30.96	कार्य प्रगति पर हैं।
2.	चरण–II 4 शहरों के अस्पतालों में 9 एसटीपी	41.91	53%	18.81	कार्य प्रगति पर हैं।
3.	जोधपुर में सीईटीपी के लिए संग्रहण प्रणाली (रीको)	21.21	15%	1.32	कार्य प्रगति पर हैं।

(7). राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एन.एल.सी.पी.)

देश की झीलों की महत्ता को बनाये रखने के लिये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम (एन.एल.सी.पी/एन.पी.सी.ए.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। जिसकी वित्त पोषण राशि का अनुपात वर्तमान में 70 : 30 (70 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा) है।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन एवं धार्मिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुये पूर्व में पॉच झीलो को क्रमशः आनासागर झील (अजमेर), पुष्कर सरोवर (पुष्कर), फतेहसागर झील एवं पिछोला झील (उदयपुर), नक्की झील (माउंट आबू) के पुनरुद्वार एव संरक्षण हेतु अनुदान राशि परियोजना में स्वीकृत की गई थी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्र दिनांक 08.02.2016 द्वारा वर्तमान में वित्त पोषण राशि का अनुपात 50 : 50 (50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा) को दिनांक 01.04.2015 से लागू किया गया है एवं पत्र दिनांक 17.08.2016 द्वारा 60 : 40 का (60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुदान एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का हिस्सा) दिनांक 01.04.2016 से लागू किया गया है।

अनुमोदित झीलो की राशि एवं कार्यकारी संस्था का विवरण

झील का नाम	स्वीकृत राशि (करोड रूपये मे बिना सेन्टेज राशि)	स्वीकृति दिनांक	कार्यकारी संस्था	व्यय (करोड़ों में)	केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त राशि	कार्यों की वर्तमान स्थिति
आनासागर झील, अजमेर	18.27 / 16.80	23.11.07	यूआईटी, अजमेर	9.12	8.70	वेटलेण्ड कार्य के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय विभाग को भेजते हुए निवेदन किया गया है कि केन्द्र की बकाया राशि 0.42 करोड़ का भुगतान दिनांक 10.05.2017 के संशोधित नियम से करावें।
पुष्कर सरोवर, पुष्कर	48.37 / 44.50	26.02.08	यूआईटी, अजमेर	48.37	39.60	वित्तीय पूर्णता के अतिरिक्त सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय विभाग को भेज दी गई है। एनएलसीपी/एनपीसी योजना के तहत स्वीकृति दिनांक 26.04.23 द्वारा पुष्कर सरोवर अजमेर के संरक्षण एवं पुरूद्धार कार्य हेतु व्यय की गई राशि के पुर्नभरण हेतु केन्द्रांश राशि की अन्तिम किश्त की राशि रूपये 525.00 लाख जारी किये गये है। जो वित्त (व्यय–।।।) विभाग की आई.डी.क्रमांक 172301530 दिनांक 11.08.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुशरण में हस्तांतरित किये जा चुके है। पुष्कर सरोवर अजमेर के संरक्षण एवं पुनरूद्वार हेतु आरयूआईडी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के क्रम में राशि रूपये 350 लाख अजमेर विकास प्राधिकरण को पूर्व में जारी किये जा चुके है एवं पुर्नभरण राशि 525 लाख अजमेर विकास प्राधिकरण के खाते में हस्तांतरित किये जा चुके है।

पिछोला झील, उदयपुर	84.75 / 78.47	04.02.09	यूआईटी, उदयपुर नगर परिषद, उदयपुर	83.18	83.18	सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय विभाग को भेज दी गई है।
फतेहसागर, उदयपुर	41.86 / 38.75	14.08.08	यूआईटी, उदयपुर	40.93	40.93	सभी कार्य पूर्ण। कार्य पूर्णता रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी गई है।
नक्कीझील, माउंट आबू	7.33 / 6.74	24.06.10	यूआईटी, माउंटआबू	4.01	3.97	सभी स्वीकृत कार्य पूर्ण।
कुल योग	200.58			185.61	176.38	

(8) निकाय बोर्ड व प्रमुखों को अधिक सशक्त बनाना।

शक्तियों के विकेन्द्रीकरण एवं नगरीय निकायो को सशक्त बनाने की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका (सामग्री का क्रय और संविदा) नियम, 1974 के नियम 14 में संशोधन कर अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 2015 द्वारा नगरीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु पूर्ण अधिकार प्रदत्त किये गये है। नगर निगम के मामले में आयुक्त को एक करोड रूपये, महापौर को दो करोड रूपये, वित्त समिति को पांच करोड रूपये एवं निगम बोर्ड को पूर्ण शक्तियां दी गई है। इसी प्रकार नगर परिषद के मामले में आयुक्त को दो लाख रूपये, सभापति को पचास लाख रूपये, वित्त समिति को एक करोड रूपये एवं नगर परिषद बोर्ड को पूर्ण शक्तियां दी गई है। नगर पालिका के मामले में अधिशाषी अधिकारी को एक लाख रूपये, अध्यक्ष को पच्चीस लाख रूपये, वित्त समिति को पचास लाख रूपये एवं नगर पालिका मण्डल को पूर्ण शक्तियां प्रदत्त की गई है। इसी प्रकार पॉवर ऑफ शिड्यूल 08 जनवरी 2015 को जारी की गई, जिसमें तकनीकी स्वीकृति निविदाओं को खोलने की प्रक्रिया, वर्क ऑडर जारी करने के सम्बन्ध में एक्सईएन, एईएन, एएओ को अधिकारिता दी गई है।

(9) अग्निशमन सेवा संबंधित समस्त कार्य :–

- प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों में कुल 708 अग्निशमन वाहन कार्यरत है।
- इसी के साथ जयपुर में 18 करोड रूपये की लागत से 70 मीटर उंचाई एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की सप्लाई पूर्ण, मशीन का रजिस्ट्रेशन करवायी जाकर कमीशनींग की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा संबंधित नगर निगम ग्रेटर जयपुर को हस्तातंरित की जाकर निगम द्वारा उपयोग मे ली जा रही है।
- नगर निगम जयपुर हैरिटेज, उदयपुर, कोटा दक्षिण एवं जोधपुर दक्षिण प्रत्येक नगरीय निकाय में एक–एक 42 मीटर उंचाई का एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफार्म अग्निशमन वाहन कार्यरत है।

- राज्य के चार नगरीय निकायो जोधपुर उत्तर/उदयपुर/कोटा उत्तर/भिवाडी के लिये 60 मीटर AHLP अग्निशमन वाहन क्रय किये जाकर सप्लाई पूर्ण, मशीन का रजिस्ट्रेशन करवायी जाकर कमीशनींग की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा संबंधित नगरीय निकायो द्वारा उपयोग मे ली जा रही है।
- राज्य की नगरीय निकायो के लिये 200 अग्निशमन वाहन क्रय किये जाकर की खरीद के लिये राशि रूपये 76 करोड समस्त 200 वाहनो की आपूर्ति विभिन्न नगरीय निकायो में की जा चुकी है। सम्बन्धित निकायों द्वारा वाहन उपयोग में लिये जा रहे है।
- इसी के साथ नगर निगम अजमेर तथा अलवर के लिये प्रत्येक के लिये एक–एक 60 मीटर AHLP वाहन क्रय किये जाकर सम्बन्धित निकायों को आपूर्ति किये जा चुके है।

(10) नगर स्तरीय यातायात कम्पनियों का गठन

JCTSL का गठन

- JnNURM योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर में नगरीय बस सेवा के माध्यम से परिवहन व्यवस्था के सुचारू संचालन तथा नियंत्रण की दृष्टि से कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत फरवरी 2008 में एक विशेष संवाहक SPV(Special Purpose Vehicle) के रूप में जे.सी.टी.एस. एल. की स्थापना की गई है।
- जेसीटीएसएल द्वारा जुलाई 2010 से नगरीय बस सेवा का वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ किया गया।

1. जेसीटीएसएल –संगठनात्मक ढॉचाः–

राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जयपुर शहर में नगरीय परिवहन सेवा (बस सर्विस) के लिये जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) का गठन किया गया। जेसीटीएसएल के बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर का पुर्नगठन निम्नानुसार किया गया हैः–

1	अध्यक्ष जेसीटीएसएल	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, जेसीटीएसएल जयपुर	निदेशक
3	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	निदेशक
4	संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–3), जयपुर, राज. सरकार, जयपुर	निदेशक
5	आयुक्त, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर	निदेशक
6	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज.सरकार,जयपुर	निदेशक
7	उपायुक्त पुलिस (यातायात), जयपुर	निदेशक
8	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जयपुर	निदेशक
9	कार्यकारी निदेशक (यातायात) रा.रा.प.प. निगम, जयपुर	निदेशक

2. जेसीटीएसएल में वर्तमान में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क.सं.	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत (नियमित)	कार्यरत (संविदाकर्मी	रिक्त पद
1	कम्पनी सचिव	1	–	1	–
2	संभाग प्रबन्धक	3	–	–	3
3	सहायक यान्त्रिक अभियन्ता	3	–	–	3
4	कनिष्ठ अभियंता	9	–	–	9
5	आगार प्रबन्धक	3	–	2	1
6	यातायात निरीक्षक	6	–	1	5
7	सहायक यातायात निरीक्षक	12	–	5	7
8	सहायक लेखाधिकारी (A.A.O.I)	3	–	–	3
9	सहायक लेखाधिकारी (A.A.O.II)	3	–	3	–
10	कनिष्ठ लेखाकार	6	–	–	6
11	वरिष्ठ सहायक	9	–	2	7
12	कनिष्ठ सहायक	21	3	–	18
13	सुरक्षा प्रहरी	15	–	–	15
14	सांख्यिकी	3	–	–	3
15	सहायक सांख्यिकी	3	–	–	3
16	चालक	1026	534	–	492
17	परिचालक	1026	584	–	442
	कुल	2152	1121	14	1017

3. विभागीय प्रमुख कार्य

(अ) बसों की उपलब्धता

(i) फेज प्रथमः–

- JnNURM योजना के अन्तर्गत जयपुर शहर को प्रथम चरण मे वर्ष 2010–11 में 280 बसें एवं वर्ष 2012 में 20 बसें एवं वर्ष 2013 में 108 बसें प्राप्त हुयी।
- योजना में प्राप्त बसों का संचालन वर्ष 2010 में प्रारम्भ हुआ। इस योजनान्तर्गत प्राप्त सभी बसों को निर्धारित अवधि तक संचालन किये जाने के उपरान्त निर्धारित नॉर्मस आयु मापदण्ड पूर्ण करने से इन्हे संचालन से हटाया गया।

(ii) फेज द्वितीयः–JnNURM योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2017 में जेसीटीएसएल को 100 बसें प्राप्त हुयी जिनका संचालन जेसीटीएसएल टोडी आगार से किया जा रहा है। उक्त 100 बसों

के संचालन, रखरखाव व मरम्मत कार्य का 8 वर्ष का अनुबन्ध पीपीपी ऑपरेटर मैसर्स मातेश्वरी बस ऑपरेशन के साथ किया हुआ है।

(iii) स्मार्ट सिटी योजनाः–बगराना आगार

- जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत् प्राप्त 100 (30 एसी एवं 70 नॉन एसी) बी एस –VI बसों का संचालन जेसीटीएसएल बगराना आगार से वर्ष 2021 से प्रारम्भ किया गया। बसों के संचालन, रखरखाव एवं मरम्मत कार्य का अनुबन्ध मैसर्स पारस ट्रेवल्स लाईन्स के साथ किया हुआ है।

(ब) यात्री सुविधाओं का विकास

- जयपुर शहर मे जेसीटीएसएल द्वारा यात्री सुविधाओं में सुधार व विकास हेतु 150 बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण किया गया।
- जेसीटीएसएल की बसों में विभिन्न श्रेणियों के नागरिक जैसे– वरिष्ठ नागरिक, महिला यात्री, विद्यार्थी, विशेषयोग्य जनों आदि को रियायती यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- जेसीटीएसएल बसों में प्रति दिवस औसतन 1.20 लाख यात्री यात्रा कर रहे है।

(स) ITMS –ETIM Ticketing & GPS, VTS

- नवीनतम व आधुनिकतम आई.टी. प्रयोग के क्रम में जेसीटीएसएल द्वारा संचालित बसों में मैसर्स ओम्नीफिशेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के माध्यम से यात्रियों को ईटीआईएम मशीन द्वारा टिकिट जारी किये जा रहे है।
- विद्यार्थियों की यात्रा सुविधा एवं कैशलेस पेमेंट को बढाने के क्रम में पायलेट प्रोजेक्ट में 1500 स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड जारी किये गये है। बसों में यात्रा करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिये स्मार्ट कार्ड सुविधा हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(द) ESG (Environment, Social & Governance) Policy:-

- जेसीटीएसएल पूरे भारत में एक मात्र शहरी परिवहन कंपनी है, जिसने पर्यावरण (एनवायरमेंट), सामाजिक (सोशल), शासन(गवर्नेस) की ईएसजी नीति ESG (Environment,Social & Governance Policy) और उससे सम्बन्धित प्रकटीकरण इसी वित्तीय वर्ष 2023–24 में अंगीकृत किया गया है।

4. <u>आलौच्य वर्ष में विशेष पहल</u>

(i) New- 300 CNG AC MIDI Buses

- जयपुर शहर में परिवहन को सुदृढ करने के क्रम में 300 सी.एन.जी. चालित एसी मिडी बसों के उपापन हेतु राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में निविदा जारी की जा चुकी है।

(ii) P.M.E-bus

- भारत सरकार की पी.एम. ई बस सेवा योजना के अन्तर्गत राजस्थान के आठ शहरों हेतु 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गयी है। इनमे से जयपुर शहर को 150 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त होगी।
- उक्त योजना में विद्युत कार्य हेतु 100 प्रतिशत राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में एवं सिविल कार्य हेतु 60 प्रतिशत केन्द्रीय एवं 40 प्रतिशत राज्य सहायता के रूप में प्राप्त होगी।

(iii) ITMS –ETIM Ticketing & GPS, VTS

- नवीनतम व आधुनिकतम आई.टी. प्रयोग के क्रम में जेसीटीएसएल द्वारा संचालित बसों में मैसर्स ओम्नीफिशेंट टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. के माध्यम से यात्रियों को ईटीआईएम मशीन द्वारा टिकिट जारी किये जा रहे है।
- ईटीआईएम मशीनों के माध्यम से 100 प्रतिशत ई–टिकिटिंग की जा रही है।
- विद्यार्थियों की यात्रा किराये में कैशलेस पेमेंट को बढाने के क्रम में पायलेट प्रोजेक्ट में 1500 स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड जारी किये गये है। इसी क्रम में बसों में यात्रा करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिये स्मार्ट कार्ड सुविधा प्रदान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

5. <u>जेसीटीएसएल को प्राप्त अवार्ड (पुरस्कार)</u> :–

- बस की संचालन व्यवस्था, रूट डिजाईन, एकवर्ती किराया पद्वति आदि के लिये जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत जेसीटीएसएल को "Best Emerging Initiative Award" प्रदान किया गया।
- ASRTU द्वारा "Minimum Operational Cost Urban Services" हेतु वर्ष 2014–15 एवं 2016–17 के लिये "ASRTU Productivity Award" प्रदान किया है।
- ASRTU द्वारा Oct 2017-Sep 2018 की तुलना मे Oct 2018-Sep 2019 मे तुलनात्मक डीजल औसत श्रेणी में जेसीटीएसएल को 1st Best STU (Upto 1000 Buses Category) KMPL Award प्राप्त हुआ है।
- ASRTU द्वारा Oct 2018-Sep 2019 की तुलना मे Oct 2019-Sep 2020 मे तुलनात्मक डीजल औसत श्रेणी में जेसीटीएसएल को 2nd Best STU (Upto 1000 Buses Category) KMPL Award प्राप्त हुआ है।
- ASRTU द्वारा Oct 2019-Sep 2020 की तुलना मे Oct 2020-Sep 2021 मे तुलनात्मक डीजल औसत श्रेणी में जेसीटीएसएल को Best Depot (Upto 1000 Buses Category) KMPL Award प्राप्त हुआ है।
- ASRTU से जेसीटीएसएल को वर्ष 2022–23 Highest Employee Pruductivity Award-Urban Category- Winner Award प्राप्त हुआ है।

(11) स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुः–

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

- नगरीय निकायों की सीमा क्षेत्र में 15 मीटर की ऊचाई तक के भवनों में निर्धारित फायर सैस की एक मुश्त राशि 50 रू से घटाकर 15/– रू. प्रति वर्ग मीटर 5 वर्ष के लिए की गई।
- 5 अस्पतालों (आरयूएएचएस, महिला अस्पताल जयपुर, पीबीएम अस्पताल बीकानेर, एमजी अस्पताल जोधपुर तथा सेटेलाईट अस्पताल कोटा) में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूर्ण किया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में 53,990 आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ तथा 30,500 आवास पूर्ण किए गए।
- श्री अन्नपूर्णा रसोईयों में अनुदान राशि 17/– रूपये से बढ़ाकर 22/– रूपये प्रति थाली की गई।
- राज्य की 11 नगरीय निकायों को उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया। 27 नवगठित नगर पालिका बनाए जाने की अधिसूचना जारी की गई।

- **नीतिगत निर्णय–**

➢ राज्य के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में डेयरी बूथ आवंटन में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के तहत डेयरी बूथ आवंटन के प्रकरणों में दिव्यांगजनों हेतु 5 प्रतिशत बूथ आरक्षित रखे जाने के प्रावधान।

➢ राज्य के सभी अधिसूचित नगरीय क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने लिए भवनों में अग्निशमन/अग्नि सुरक्षा यंत्र हेतु नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 14.08.2023 जारी।

विभागीय योजनाएं–

- **स्मार्ट सिटी मिशन** अन्तर्गत राजस्थान के चार शहरों जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में पार्किंग, चिकित्सा, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, खेलकूद, शहरी आधारभूत सुविधाओं के कुल प्राप्त राशि रूपये 3820.00 करोड़ के विरूद्ध राशि रूपये 3728.47 करोड़ का व्यय, कुल 444 परियोजनाओं में से 418 पूर्ण एवं 26 प्रगतिरत, भारत सरकार द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान देश में **द्वितीय** स्थान पर।

- अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत राज्य के 29 शहरों में सीवरेज, जलप्रदाय, ड्रेनेज एवं ग्रीन स्पेस के कार्यो के लिए रू. 3105 करोड़ का व्यय कर परियोजना को गति दी गई। सीवरेज की 2395 कि.मी. सीवर लाईन, 2.36 लाख सीवर कनेक्शन व 30 एसटीपी का कार्य पूर्ण किया गया एवं 20 कार्य पूर्ण किये गये है। जलापूर्ति में 2967 कि.मी. पेयजल लाईन, 08 सीडब्ल्यूआर, 80 उच्च व भूतल जलाशय का निर्माण व 2.10 लाख पेयजल कनेक्शन व मीटर चेंज कार्य एवं 20 कार्य पूर्ण किये गये। ड्रेनेज में 27.00 कि. मी. नालों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। ग्रीन स्पेस में 97 पार्को का विकास कार्य पूर्ण कर 27 शहरों में कार्य पूर्ण किया गया। मुख्य उपलब्धियों अर्न्तगत STP संधारण में विद्युत भार कम करने हेतू Solar Power Generation unit का प्रावधान, सभी को हाउस सीवर कनेक्शन का प्रावधान, सीवर लाईन संधारण हेतु Jetting Mechine, Smart Manhole का प्रावधान ताकि मानव रहित संधारण किया जा सके, STP से उपचारित सीवेज पैरामीटर चैक करने हेतु Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) का प्रावधान तथा Reuse of Treated Wastewater का प्रावधान।

- पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत प्रथम ऋण राशि 10000/– हेतु कुल 2,61,385 पात्र आवेदनों में से 2,01,971 को ऋण स्वीकृत कर 1,86,553 को ऋण वितरण किया गया है। द्वितीय ऋण राशि 20000/– हेतु 75335 पात्र आवेदनों में से 55,363 के ऋण स्वीकृत कर 47601 को ऋण वितरण किया गया तथा तृतीय ऋण राशि 50,000/– हेतु 10,723 पात्र आवेदनों में से 7041 ऋण स्वीकृत कर 4996 को ऋण वितरण किया गया। सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में दिनांक 15.12.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 11001 पथ विक्रेताओं को राशि 14.82 करोड़ का ऋण वितरण किया गया।

- आरओबी/आरयूबी– अजमेर, नाका मदार, श्रीनगर रोड़ पर स्थित समपार फाटक संख्या 43 एवं 43/1 पर 2 आरयूबी रूपये 7.12 करोड़ की लागत से निर्मित। किशनगढ़ में समपार फाटक 32 पर 34.15 करोड़ की लागत से 2 लेन आरओबी, फुलेरा समपार फाटक संख्या 01 पर 51 करोड़ की लागत से 2 लेन आरओबी का कार्य पूर्ण। बाड़मेर में चौहटन रोड़ रेलवे फाटक पर 37.80 करोड़ रूपये की लागत से तथा बारां में समपार फाटक संख्या 38 पर 36. 05 करोड़ रूपये की लागत से नवीन आरओबी का कार्य प्रगति पर।

- **Ease of Doing Business**–राज्य में आमजन की सुविधा हेतु विभाग से सम्बन्धित सेवाओं यथा ट्रेड लाईसेंस, यू.डी.टैक्स, फायर एन.ओ.सी., भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन, मोबाईल टॉवर, साईनेज लाईसेन्स, 90–ए भू–रूपान्तरण, प्रौपर्टी आईडी, नाम हस्तानान्तरण, लीजडीड

(पट्टा), उप विभाजन एवं पुर्नगठन, लीज राशि जमा, स्ट्रीट वेन्डर लाईसेन्स, ई–ऑक्शन के ऑनलाइन पोर्टल तैयार किये जाकर उक्त समस्त सेवायें विभाग द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रदान की जा रही है। उक्त ऑनलाईन पोर्टल आवेदक द्वारा दस्तावेज जमा करने, आवेदन शुल्क जमा करने से अन्तिम स्वीकृति/अनुमोदन ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभाग को प्राप्त अवार्ड :–

- केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय की ओर से आयोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते स्टेट मिशन डायरेक्टर एवं हनुमानगढ़ नगर परिषद् को अवॉर्ड मिला।
- केंद्र सरकार की ओर से मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए SPARK अवॉर्ड 2023–2024 (सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवॉर्ड) राजस्थान को मिलने जा रहा है। दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेंटर के स्टेन ऑडिटोरियम में इस अवॉर्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा।
- सर्वेक्षण 2023 में जयपुर नगर निगम हैरिटेज को सबसे **''स्वच्छ और क्लीन सिटी''** का पुरस्कार मिला है।
- सर्वेक्षण 2023 में नगर परिषद डूंगरपुर को 3 स्टार रेटिंग देते हुए **''गार्बेज फ्री सिटी''** का पुरस्कार मिला।

परिशिष्ट – I

राजस्थान के नगर निकायों का सम्भागवार, जिलेवार एवं श्रेणीवार वर्गीकरण

क.स.	जिला	प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी	योग
		नगर निगम	नगर परिषद	नगरपालिका मंडल	नगर पालिका मंडल	नगर पालिका मंडल	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. अजमेर सम्भाग							
1.	अजमेर	अजमेर	1 किशनगढ़ 2. केकडी 3. पुष्कर		1. सरवाड	1. नसीराबाद 2 सावर 3 टाटोटी	8
2.	नागौर		1. नागौर	1.मेडतासिटी		1. कुचेरा 2. मूण्डवा 3. बोरावड 4. जायल 5. बासनी 6. मेडतारोड	8
3.	टोंक		1. टोंक	1.देवली	1. निवाई	1. मालपुरा 2. उनियारा 3. दूनी 4. लाम्बाहरिसिंहपुरा 5. डिग्गी 6. पीपलू 7. टोडारायसिंह	10
4.	डीडवाना – कुचामनसिटी		1 मकराना 2 कुचामनसिटी 3.डीडवाना	1 लाडनूं	1.परबतसर 2.नांवा	1.डेगाना	7
5.	भीलवाडा	भीलवाडा	1 शाहपुरा		1. गुलाबपुरा	1 गंगापुर 2. माण्डलगढ 3. आसीन्द 4. हमीरगढ 5. रायपुर 6. बिजोलिया 7. जहाजपुर	10
6.	ब्यावर		1 ब्यावर		1 विजयनगर	1. जैतारण 2. मसूदा	4
2. बीकानेर सम्भाग							
7.	बीकानेर	बीकानेर			1. नोखा 2. श्री डूंगरगढ	1. देशनोक 2. लूणकरणसर 3. नापासर 4. खाजूवाला	7
8.	श्रीगंगानगर		1. श्रीगंगानगर 2. अनूपगढ	1.रायसिंहनगर	1. गजसिंहपुर 2. पदमपुर 3. केसरीसिंहपुर 4. सादुलशहर 5. श्रीकरणपुर 6. सूरतगढ 7. श्रीविजयनगर	1. लालगढ–जाटान 2. घड़साना	12
9.	हनुमानगढ		1.हनुमानगढ		1. नोहर 2. संगरिया 3. भादरा 4. पीलीबंगा	1.रावतसर 2.टिब्बी 3.गोलूवाला	8

10.	चूरू		1.चूरू 2.सरदारशहर 3.सुजानगढ	1.रतनगढ	1.राजगढ 2.तारानगर	1. छापर 2. बीदासर 3. राजलदेसर 4. रतननगर	10
3. जयपुर सम्भाग							
11.	जयपुर शहर	1.जयपुर–हैरिटेज 2.ग्रेटर जयपुर	1 चौमूं 2.शाहपुरा 3.दूदू		1. सांभर 2. चाकसू	1. जोबनेर 2. फुलेरा 3. किशनगढरेनवाल 4. बगरू 5. बस्सी 6. नरायणना 7. मनोहरपुर 8. वाटिका 9. जमवारामगढ 10. फागी	17
12.	अलवर	1. अलवर	1. भिवाडी		1. खेरली 2. राजगढ	1. खटूमर 2. थानागाजी 3. रामगढ 4. गोविन्दगढ 5. बर्डोद 6. बडोदा मेव 7. नोगांव 8. रैणी 9. मालाखेड़ा 10. लक्ष्मणगढ	14
13.	दौसा		1. दौसा 2. लालसोट	1. बांदीकुई	1. महवा	1. मण्डावरी 2. मण्डावर 3. रामगढ़ पचवारा 4. बसवा 5. लवाण 6. भाण्डारेज 7. सिकराय	11
14.	कोटपुतली–बहरोड़		1 कोटपुतली 2 बहरोड		1.विराटनगर 2.पावटा–प्रागपुरा	1.बानसूर 2.नीमराना 3.नारायणपुर 4.मांढण	8
15.	खैरतल–तिजारा		1 खैरतल 2.तिजारा			1 टपूकडा 2 बहादुरपुर 3 किशनगढवास 4 कोटकासिम 5 मुण्डावर	7
16.	सीकर		1.सीकर 2.फतेहपुर 3.नीमकाथाना	1.लक्ष्मणगढ 2.रींगस	1रामगढशेखावटी 2.खण्डेला 3.श्रीमाधोपुर 4.लोसल	1. खाटूश्यामजी 2. दाता 3. अजीतगढ 4. धोंद	13

17.	झुझुंनू		1 झुझुंनू	1.नवलगढ 2.चिडावा		1. बिसाऊ 2. बग्गड 3. मण्डावा 4. मुकुन्दगढ 5. पिलानी 6. सूरजगढ 7. विद्याविहार 8. गुढागौडजी 9. सिंघाना 10. पौंख 11. डूंण्डलोद 12. जाखल 13. सुलताना 14. खेतडी 15. उदयपुरवाटी	18
4. भरतपुर सम्भाग							
18.	भरतपुर	1. भरतपुर			1. बयाना 2. नदबई	1. वैर 2. भुसावर 3. रूपवास 4. उच्चैन	7
19.	धौलपुर		1. धौलपुर	1. बाड़ी	1.राजाखेडा	1. सरमथुरा 2. बसेडी	5
20.	करौली		1. करौली 2. हिंडौनसिटी			1. सपोटरा 2. मंडरायल	4
21.	सवाईमाधोपुर		1.सवाईमाधोपुर 2.गंगापुरसिटी			**1.** बौली **2.** खिरनी **3.** खण्डार **4.** बामणवास **5.** टोडाभीम **6.** वजीरपुर	8
22.	डीग		1.डीग	1.नगर	1.कामां	1.कुम्हैर 2.सीकरी 3.पहाड़ी	6
5. जोधपुर सम्भाग							
23.	जोधपुर	1.जोधपुर–उत्तर 2जोधपुर–दक्षिण			1. पीपाडसिटी 2. बिलाडा	1.भोपालगढ़ 2.बालेसरसत्ता 3.कुडीभगतासनी 4.तिवरी	8
24.	बाडमेर		1.बाड़मेर			1. चौहटन 2. गुडामालानी 3.धौरीमन्ना	4
25.	जैसलमेर		1.जैसलमेर		1.पोकरण	1.रामदेवरा	3
26.	फलोदी		1.फलोदी			1.बाप	2
27.	बालोतरा		1.बालोतरा			1. सिवाना 2. सिणधरी	3
28.	पाली	1. पाली		1. सुमेरपुर	1. सोजतसिटी	1. बाली 2. तख्तगढ 3. सादडी 4. खुडाला–फालना 5. रानीखुर्द 6. मारवाड़ जंक्शन 7. सोजतरोड	10
29.	सिरोही		1.सिरोही	1.आबूरोड 2.माउंटआबू	1. शिवगंज	1. पिण्डवाडा 2. जावाल	6

30.	जालौर		1. जालौर 2. सांचौर		1. भीनमाल	1. आहोर 2. सायल 3. रानीवाडा	6
6. उदयपुर सम्भाग							
31.	उदयपुर	1.उदयपुर			1.फतेहनगर–सनवाड	1. भीण्डर 2. कानोड 3. ऋषभदेव 4. मावली 5. वल्लभनगर 6. खेरवाड़ा	8
32.	चित्तौडगढ		1. चित्तौडगढ	1. निम्बाहेडा	1.रावतभाटा	1. बडी सादडी 2. कपासन 3. बेगू 4. आकोला	7
33.	राजसमन्द		1. राजसमंद		1. आमेट 2. नाथद्वारा	1. देवगढ 2. भीम	5
34.	सलूम्बर		1.सलूम्बर			1. सेमारी 2. सराड़ा–चावड़	3
35.	बांसवाडा		1. बांसवाडा		1. कुशलगढ	1. परतापपुरगढी 2. घाटोल	4
36.	प्रतापगढ़		1. प्रतापगढ		1. छोटी सादडी	1. धरियावद 2. दलोट	4
37.	डूंगरपुर		1. डूंगरपुर			1. सागवाडा 2. सीमलवाड़ा	3
7. कोटा सम्भाग							
38.	कोटा	1.कोटा–उत्तर 2.कोटा–दक्षिण			1. रामगंजमंडी	1. कैथून 2. सांगोद 3. ईटावा 4. सुल्तानपुर 5. सुकेत	8
39.	बारां		1. बारां	1. अन्ता		1. छबड़ा 2. मांगरोल 3. अटरू 4. सीसवाली	6
40.	बूंदी		1. बूंदी		1. लाखेरी 2. केशवरायपाटन	1. नैनवां 2. कापरेन 3. इन्द्रगढ 4. देई 5. हिण्डौली	8
41.	झालावाड		1. झालावाड		1. भवानीमंडी 2. झालरापाटन	1. पिडावा 2. अकलेरा	5
	योग	13	52	17	53	170	305

परिशिष्ट – II

वर्ष 2024–25 में विभाग में स्वीकृत पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है

क.सं.	नाम पद	स्वीकृत पदों की संख्या	
		आयोजना भिन्न	आयोजना
1.	**(अ) राजपत्रित अधिकारी**		
2.	निदेशक एवं विशिष्ट सचिव	1	–
3.	अतिरिक्त निदेशक	1	–
4.	मुख्य अभियन्ता	–	1
5.	अधीक्षण अभियंता	1	–
6.	वित्तीय सलाहकार	1	–
7.	परियोजना निदेशक	–	1
8.	संयुक्त निदेशक (प्लानं)	–	1
9.	सचिव, राज्य स्तरीय चयन आयोग	–	1
10.	उप निदेशक	3	1
11.	उप निदेशक (सां.)	–	1
12.	उप निदेशक क्षैत्रीय	7	–
13.	सहायक निदेशक	1	–
14.	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	1	–
15.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1
16.	लेखाधिकारी	2	–
17.	सहायक अभियंता	1	–
18.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	1	–
19.	सहायक विधि परामर्शी	1	–
20.	संस्थापन अधिकारी	1	
21.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	2	–
22.	वरिष्ठ नगर नियोजक	–	1
23.	वरिष्ठ निजी सचिव	1	
24.	निजी सचिव	1	–
25.	सिस्टम एनालिसिस्ट (संयुक्त निदेशक)	1	–
26.	एनालिसिस्ट कम प्रोग्रामर	1	–
27.	प्रोग्रामर	2	–

28.	अतिरिक्त निजी सचिव	1	1
29.	प्रशासनिक अधिकारी	3	–
30.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	5	1
31.	नोडल अधिकारी (केन्द्रिय एवं राज्य आयोग)	1	–
योग– अ		**41**	**10**
(ब) अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी			
32.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	2	–
33.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	5 (2 कार्यरत) (3 पद Kept in abeyance)
34.	अन्वेषण सहायक	–	1 रिक्त
35.	लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	14	1 रिक्त
36.	कनिष्ठ लेखाकार	–	3 रिक्त (3 पद Kept in abeyance)
37.	संगणक	2	–
38.	सहायक प्रोग्रामर	2	–
39.	सूचना सहायक	4	–
योग–ब		**25**	**10**
(स) मंत्रालयिक सेवा कर्मचारी			
40.	निजी सहायक ग्रेड–।।	1	1
41.	निजी सहायक ग्रेड–।	2	–
42.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	14	1
43.	वरिष्ठ सहायक	19	1
44.	कनिष्ठ सहायक	29	3
45.	वाहन चालक	–	1
योग–स		**65**	**7**
(द) चतुर्थ श्रेणी सेवा			
46.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ चौकीदार	5	2
47.	जमादार	1	–
योग–द		**6**	**2**
	महायोग अ+ब+स	**137**	**29** (6 पद Kept in abeyance)

विभाग में सृजित एक्स केडर पदों की स्थिति :–उक्त पद 08 UWSS Cell में सृजित किये गये है तथा उक्त पद पीएचईडी विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो से प्रतिनियुक्ति से भरे जावेगें:–		
01	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	01
02	अधीक्षण अभियन्ता	01
03	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	04
04	सहायक अभियन्ता	01
05	सहायक लेखाधिकारी–II	01
06	कनिष्ठ सहायक	02
(ब)	योग	**10**
पर्यावरण प्रकोष्ठ निदेशालय		
01	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	01
02	अधीक्षण अभियन्ता	01
03	अधिशाषी अभियन्ता	03
(स)	योग	**05**
प्रयोजना बजट मद 2217–80–001–(06)–(01) राज्य निधि प्रतिबध में सृजित किये गयें अस्थाई 15+1 = 16 पद		
01	मुख्य अभियंता	**01**
02	वरिष्ठ नगर नियोजक	**01**
03	सहायक विधि परामर्शी	**01**
04	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	**06**
05	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	**02**
06	कनिष्ठ विधि अधिकारी	**01**
07	कनिष्ठ सहायक	**03**
08	**स्टेट नोडल ऑफिसर इन्दिरा रसोई योजना**	**01**
(द)	योग	**16**
	महायोग (अ+ब+स+द)	**168**

परिशिष्ट III

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय के दूरभाष नम्बर

क्र.सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न.
1.	मा.मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन व स्वायत्त शासन विभाग	माननीय श्री झाबर सिंह खर्रा	2227384
2.	प्रमुख शासन सचिव, LSG	श्री राजेश यादव (IAS)	2227507, 2222235
3.	आयुक्त एवं शासन सचिव	श्री कुमार पाल गौतम (IAS)	2222403
4.	अतिरिक्त निदेशक	श्री श्याम सिंह शेखावत (RAS)	2229314
5.	सचिव, राज्य स्तरीय चयन आयोग	श्रीमती अमृता चौधरी (RAS)	2226706
6.	उप निदेशक (प्रशासन)	श्री नवीन यादव (RAS)	2226719
7.	वित्तीय सलाहकार	श्री महेन्द्र मोहन	2226750
8.	परियोजना निदेशक	श्री लड्डू लाल पहाडिया	9414311983
9.	सहायक निदेशक (सतर्कता)	श्री विनीत कुमार सुखाड़िया (RAS)	2226738
10.	मुख्य अभियंता (अतिरिक्त कार्यभार)	श्री अरूण व्यास	9414134012
11.	मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा संरक्षण प्रकोष्ठ)	श्री महेश चन्द शर्मा	8949039211
12.	वरिष्ठ लेखाधिकारी (02 पद, 01 रिक्त)	श्री भंवर लाल जांगिड	2226715
13.	वरिष्ठ सयुंक्त विधि परामर्शी	श्री लेखराज जाग्रत	2226717
14.	वरिष्ठ नगर नियोजक	श्री अनुज कुमार फागणा	2226748
15.	संस्थापन अधिकारी	श्री संजीव मेहता	9414255747
16.	श्री अन्नपूर्णा रसोई नोडल अधि. (श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना) (अतिरिक्त कार्यभार)	श्री नवीन यादव (RAS)	2226719
17.	सयुंक्त निदेशक (प्लान)	श्री श्रीचन्द रैगर	9413716252
18.	संयुक्त निदेशक (IT)	श्री अशोक कुमार मीणा	2226712

19.	उप निदेशक (सां.)	श्री विकास	9950708003
20.	लेखाधिकारी	रिक्त	6350577591
21.	सहायक विधि परामर्शी	श्री सोमदत्त खण्डपा	8764295288
22.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	रिक्त	–
23.	जन सम्पर्क अधिकारी (अतिरिक्त चार्ज)	श्री कुणाल वशिष्ठ	8824225232

विभाग से सम्बद्व कार्यकारी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय के दूरभाष न0

क्र.सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न.
1	परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी (RUIDP)	श्री पीयूष सामरिया (I.A.S.)	2721966
2	कार्यकारी निदेशक रूडसिको, (RUDSICO)	श्री पीयूष सामरिया (I.A.S.)	2742538

परिशिष्ट IV

क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के नाम व कार्यालय एवं निवास के दूरभाष नम्बर

क. सं.	पद	अधिकारी का नाम	दूरभाष न. कार्यालय
1.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) बीकानेर	सुश्री सुशीला वर्मा	0151–2546539
2	उप निदेशक (क्षेत्रीय) जयपुर	श्री विनोद कुमार पुरोहित	0141–2361366
3.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) जोधपुर	सुश्री आकांक्षा बैरवा	0291–2651461
4.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) कोटा	श्री कमल कुमार मीना	0744–2504207
5.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) उदयपुर	श्री विनोद कुमार	0294–2421362
6.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) अजमेर	श्रीमती सना सिद्दीकी	0145–2426716
7.	उप निदेशक (क्षेत्रीय) भरतपुर (अतिरिक्त कार्यभार)	श्री कमल सिंह यादव	05644–236004

परिशिष्ट–V

स्वायत्त शासन विभाग का प्रशासनिक संगठन

माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग
निदेशक एवं पदेन विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग

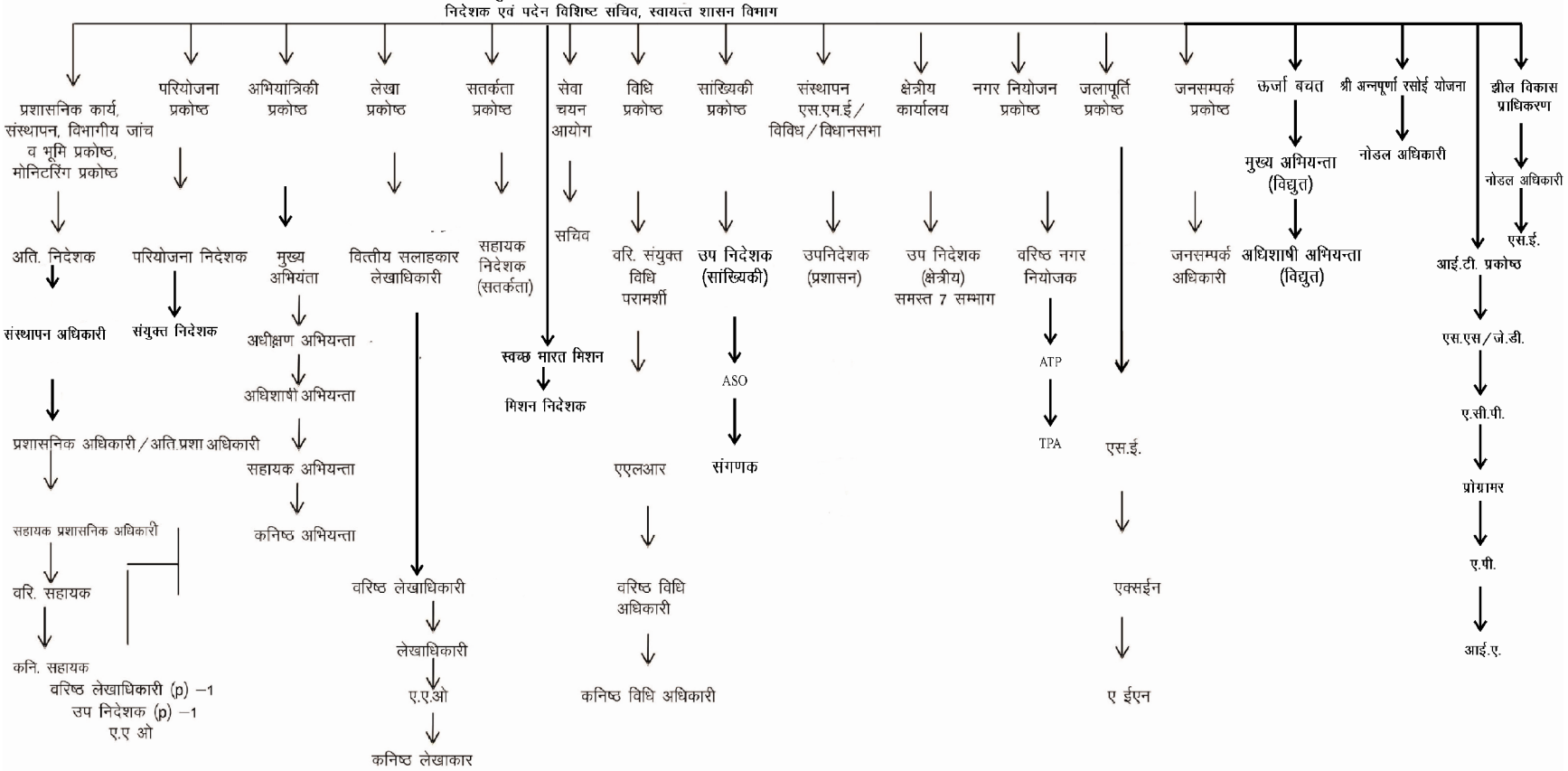

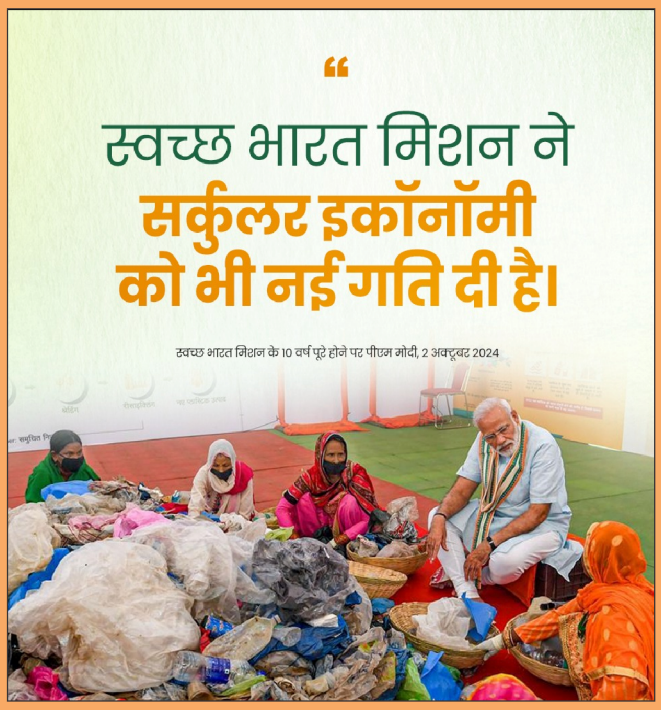

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर-302005

टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127, वेबसाईट: http://lsg.urban.rajasthan.gov.in, ई-मेल: dlbrajasthan@gmail.com